



ADDITIONAL DISCLOSURES

Reserve Bank of India issues guidelines on Capital Adequacy framework from time to time. As per Reserve Bank of India guidelines on New Capital Adequacy Framework, Bank has implemented the Basel III capital regulation, w.e.f April 1, 2013.

RISK MANAGEMENT

Risk taking is an integral part of the banking business. Banks assume various types of risks in its activities while providing different kinds of services based on its risk appetite. Each transaction that the Bank undertakes changes the risk profile of the Bank. In the normal course of business, a bank is exposed to various risks including Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. The objective of risk management is not to prohibit or prevent risk taking activity, but to ensure that the risks are consciously taken with full knowledge, clear purpose and understanding so that it can be measured and mitigated. With a view to managing various risks efficiently and strengthening its risk management systems, the bank has put in place various risk management measures and practices which includes policies, tools, techniques, monitoring mechanism and management information systems (MIS).

The Bank, on a continuous basis, aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade-off between risks and returns. The Bank's risk management objectives broadly cover proper identification, measurement, monitoring, control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on an understanding of risks and the level of risk appetite of the bank. Bank's risk appetite is demonstrated through prescription of risk limits in various policies relating to risk management.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted internal risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for managing credit risk, Asset Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk and Operational Risk Management Committee for managing operational risk.

A full-fledged Risk Management department is functioning at the Bank's Central Office, independent of the business departments for implementing best risk management systems and practices in the bank. A Chief Risk Officer in the rank of General Manager of the bank is in charge of the department who is responsible for overall supervision on risk management in the bank. The Mid-Office in Risk Management and Credit Support Services Dept. also carry out the risk management functions and monitor the adherence/compliance to policies, risk limit framework and internal approvals. Risk Managers have been placed at Regional Offices. Apart from coordinating with Risk Management Department, Central Office for submission of various MIS, they participate in Regional Level Credit Approval Committee.

The bank had implemented the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.03.2008 and is complying with the various guidelines issued by RBI from time to time. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines. As per RBI's requirement, the Bank has put in place a Board approved Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to address second pillar requirements. The ICAAP policy framework aims at assessing all material risks to which the bank is exposed over and above the regulatory prescriptions under the first

pillar risks, and ensuring adequate capital structure to meet the requirements on an ongoing basis.

The bank has formulated a "Stress Testing framework" to assess the potential vulnerability of the organization to exceptional but plausible events. Stress testing and scenario analysis, particularly in respect of the bank's material risk exposure, enable identification of potential risks inherent in a portfolio at the time of economic recession and accordingly take suitable steps to address the same. In accordance with the policy prescriptions, the bank carries out various stress tests on bank's balance sheet periodically and specific portfolios and places the reports to ALCO / RMCB / Board. Reserve Bank of India has issued fresh guidelines on Stress Testing on 02.12.2013 to be effective from 01.04.2014.

Board approved Business Continuity Plan and Disaster Recovery plan are in place. The 3 way data centers have been implemented to facilitate Zero data loss, Multiple MPLS-VPN high bandwidth connections among the 3 data Centres and Central, Dual connectivity from different alternate service providers and alternate media for branches have been implemented. Firewall and Intrusion detection systems have been implemented. IS Security Department has been established to monitor and analyze the information security incidents and to take correctives steps. IS Audit section takes care of the periodical Information Systems Audit of the Bank's departments and branches. Regular DR drills are being conducted every quarter. To ensure Network security, periodical Vulnerability assessment and Penetration testing exercises are being conducted.

The Reserve Bank of India had issued final guidelines on Liquidity Risk Management effective from end March 2013. The guidelines cover preparation of liquidity returns consolidated for the bank as a whole and with separate data for domestic operation in domestic currency and foreign currency, combined Indian operations on a fortnightly basis, liquidity return for overseas operations country wise on monthly basis and Liquidity Return for Global Operation on quarterly basis. The bank has put in place a system to generate reports as above and submitted the data to RBI on trial basis as on June 2013 as required.

Further, the Reserve Bank of India has issued guidelines on implementation of Basel III capital regulations in India to be implemented in phased manner effective from April 1, 2013 with Banks disclosing Basel III capital ratios from the quarter ended June 30, 2013. Bank is complying with the same as per the guidelines.

In addition to the existing Pillar 3 guidelines of RBI and also the new disclosure guidelines issued by RBI vide its Circular DBOD No BP BC 98/21.06.201/2012-13 dated 28.05.2013, the third pillar also refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context and as guided by RBI a set of disclosure (both qualitative and quantitative) are published in DF 1 to 11 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the (a) scope of application (DF-1), (b) Capital Adequacy (DF-2), (c) Credit Risk: General Disclosures for all banks (DF-3), (d) Credit Risk: Disclosures for Portfolios subject to the Standardised Approach (DF-4), (e) Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches (DF-5), (f) Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach (DF-6), (g) Market Risk in Trading Book (DF-7), (h) Operational Risk (DF-8), (i) Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) (DF-9), (j) General Disclosure for Exposures Related to Counter Party Credit Risk (DF-10) and (k) Composition of Capital (DF 11). This would also provide necessary information to the market participants to evaluate the performance of the bank in various parameters.



1. प्रयोज्यता की संभावना और पूँजी पर्याप्तता
तालिका डीएफ-1: प्रयोज्यता की संभावना
बैंकिंग समूह का नाम जहाँ यह रूपरेखा लागू होती है

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

निगमन के देश/ इकाई का नाम	क्या इकाई समेकन के लेखाकरण संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	क्या इकाई समेकन के विनियामक संभावना के अंतर्गत आती है (हाँ/ नहीं)	समेकन की विधि की व्याख्या	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या	समेकन की संभावनाओं में सिर्फ किसी एक के तहत समेकन किए जाने के कारण की व्याख्या
बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है लागू नहीं						

(क) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

(ख) लेखाकरण और विनियामक समेकन की दोनों संभावनाओं के तहत समेकन के लिए अविचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	इकाई के पूँजी लिखतों में बैंक के निवेश के प्रति विनियामक व्यवहार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
बैंक किसी समूह के अंतर्गत नहीं आता है लागू नहीं					

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ग) समेकन के लिए विचारणीय इकाइयों के समूह की सूची

निगमन के देश/ इकाई का नाम (उपर (i)ए के तहत सूचित अनुसार)	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)
लागू नहीं			

(घ) सभी अनुषंगी इकाइयों में पूँजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी जिनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम

निगमन का देश/ अनुषंगी का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	पूँजी की कमी
लागू नहीं				

(ड) बीमा इकाई में बैंक के कुल हित की औसत रकम (उदाहरण - चालू बही मूल्य) जो जाखिम भारत हैं:

निगमन का देश/ बीमा इकाईयों का नाम	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र ईक्विटी (विधिक इकाई के लेखाकरण के तुलन पत्र में उल्लिखितानुसार)	वोटिंग अधिकार का अनुपात / कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का प्रतिशत	जोखिम भारत प्रक्रिया बनाम पर्ण कटौती विधि के इस्तेमाल का विनियामक पूँजी पर मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं				

(च) बैंकिंग समूह के बीच निधियों या विनियामक पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा: लागू नहीं

तालिका डीएफ-2 पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए पूँजी पर्याप्तता प्रेमवर्क (बेसल I) और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अप्रैल 1992 में भारत के बैंकों ने पूँजी पर्याप्तता उपाय कार्यान्वित किए। ये उपाय बैंकों के पूँजी आधार को मजबूत करने और साथ ही पूँजी पर्याप्तता बनाए रखने के मामले में अन्तरराष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों का अनुपालन करने के लिए किए गए हैं। आरंभ में यह बेसल प्रेमवर्क उधार जोखिम के लिए पूँजी की समस्या दूर करने के लिए थी जिसे बाद में बाजार जोखिम के लिए पूँजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को 'पूँजी मानकों और पूँजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित प्रेमवर्क' जारी किया। व्यापारिक गतिविधियों और दुगुने चूक प्रभावों के उपचार को शामिल करने के लिए नवंबर 2005 में संशोधित प्रेमवर्क को अद्यतन किया है और इस प्रेमवर्क के व्यापक रूपांतर को जून 2006 में जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा सामंजस्य बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2007 को दिशानिर्देशों जारी किए और बाद में नई पूँजी पर्याप्तता (बेसल II) प्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर संशोधन किए गए।



1. Scope of Application and Capital Adequacy

TABLE DF –1: Scope of application

Name of the Banking Group to which the frame work applies

(i) Qualitative Disclosures

Name of the Entity / Country of Incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of Consolidation (yes / no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of Consolidation (yes/ no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank does not belong to any group Not applicable						

a. List of group entities considered for consolidation

b. List of Group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of the Bank's investments in the capital instruments of the entity	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Bank does not belong to any group Not applicable					

ii. Quantitative Disclosures:

c. List of Group entities considered for consolidation

Name of the Entity / Country of Incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total Balance Sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Not applicable			

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted:

Name of the Subsidiaries / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not applicable				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted:

Name of the insurance entities / Country of Incorporation	Principal activity of the entity	Total Balance Sheet Equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of the bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method vs. using the full deduction method
Not applicable				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the Banking Group: Not applicable

Table DF – 2: Capital Adequacy

Qualitative disclosures:

Banks in India implemented capital adequacy measures in April 1992 based on the capital adequacy framework (Basel-I) issued by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the guidelines issued by Reserve Bank of India (RBI) from time to time. Such a measure was taken in order to strengthen the capital base of banks and at the same time to make it compliant with the international best practices in the matter of maintaining capital adequacy. Initially the Basel framework addressed the capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk.

In line with the guidelines issued by the RBI the bank was compliant with the relevant guidelines.

Subsequently, the BCBS released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" on June 26, 2004. The Revised Framework was updated in November 2005 to include trading activities and the treatment of double default effects and a comprehensive version of the framework was issued in June 2006. Based on these guidelines and to have consistency and to be in harmony with international



भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31-03-2008 से परिशोधित (बेसल II) प्रेमवर्क में आ चुका है और बेसल II प्रेमवर्क की अपेक्षाओं का अनुपालन जारी है। बेसल III दिशानिर्देशों को 01.04.2013 से लागू किया गया है और बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी का अनुरक्षण कर रहा है।

बेसल II प्रेमवर्क उधार जोखिम बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाओं का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। इस प्रेमवर्क में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक पूँजी का परिकलन करने के लिए उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) , बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत माप पद्धति (एसएमएम) और परिचालन जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने उधार, बाजार और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी बनाए रखा है।

बैंक ने निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पूँजी जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूँजी का हिसाब किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में सूचित वर्गीकरण के अनुसार उधार जोखिम पूँजी का हिसाब उधारकर्ता के आधार पर या सुविधा के प्रकार के आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो अग्रिम पोर्टफोलियो के उधार जोखिम के लिए पूँजी के हिसाब को सुलभ करता है और शाखा स्तर, क्षेत्रीय कार्यालय और केंद्रीय कार्यालय स्तर पर आवश्यक रिपोर्ट उत्पन्न करता है। उधारकर्ता का वर्गीकरण जीएल कोड, योजना कोड और बीएसआर गतिविधि कोड पर आधारित है। सिस्टम सीबीएस अग्रिम मास्टर में से पात्र प्रतिभूति ब्यौरों का चयन करता है। सिस्टम जीएल कोड / गतिविधि कोड पर आधारित पात्र गारंटियों को चिह्नित भी करता है। मीयादी ऋण सीमा में से अनाहरित राशि की गणना सीबीएस पैकेज में उपलब्ध चरणबद्ध रूप से विमोचित ऋण ब्यौरों के आधार पर की जाती है। एफबी तथा एनएफबी की सीमा के लिए अन्य अनाहरित राशि की भी गणना सिस्टम द्वारा की जाती है।

सटीकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूँजी परिकलन के विभिन्न पक्षों के संबंध में स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों के समन्वयकों के साथ पारस्परिक संपर्क से सहयोग दिया जाता है। आँकड़ों को जाँचने तथा उनकी शुद्धता व संगति सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में जोखिम प्रबंधकों को नियुक्त किया जाता है।

सामान्यतः बैंक उधार जोखिमों जहाँ बैंक ने को कम करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। बैंक ने पूँजी राहत प्राप्त करने के लिए उधार जोखिम के लिए पूँजी के परिकलन में उधार जोखिम कमी का प्रयोग किया है। बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम शमन संबंधी स्पष्ट नीति उपलब्ध है। उधार जोखिम कमी, जोखिम भारित आस्तियों, पात्र पूँजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात के प्रति पूँजी (सीआरएआर) का हिसाब लगाने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देश का अनुसरण किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों को बेसल दस्तावेजों में निर्धारित 8% की तुलना में निरन्तर रूप से 9% के जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के प्रति न्यूनतम पूँजी अनुपात रखने के लिए नियत करता है।

बैंक की समग्र जोखिम प्रोफाइल के समान परिशोधित फेमवर्क के स्तम्भ 2 आवश्यकताओं के उपाय के रूप में बैंक के संबंधित जोखिम कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया पर नीति और प्रेमवर्क तैयार किया है। नीति तैयार करते समय बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा ओवरसीज़ परिचालन समेत बैंक की जोखिम वहन क्षमता, जहाँ कहीं लागू / प्रासंगिक हो, में निर्धारित अपेक्षाओं को ध्यान में रखा है।

जहाँ तक भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए पूँजी की पर्याप्तता का संबंध है, बैंक कारोबार के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए पूँजी अपेक्षाओं का निर्धारण करता है। सीआरएआर में आधिक्य भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करेगा। इसके अलावा टायर I और टायर II पूँजी एकत्र करने के लिए बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी क्रियाकलापों के प्रति आवश्यक सीआरएआर को पूरा करने के लिए पूँजी संरचना की सहायता करेगा। इस प्रकार बैंक के पूँजी जोखिम का यथेष्ट ध्यान रखा गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण	(₹. करोड़ में)
क. उधार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता <ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र 	166095.40 Nil
ख. बाजार जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता: <ul style="list-style-type: none"> मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण - ब्याज दर जोखिम - विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर) - ईक्विटी जोखिम 	574.49 9.15 202.38
ग. परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता: <ul style="list-style-type: none"> मूल संकेतक दृष्टिकोण मानकीकृत दृष्टिकोण 	958.27 लागू नहीं
घ. सामान्य इक्विटी टायर I पूँजी अनुपात टायर I पूँजी कुल पूँजी अनुपात उच्च समेकित समूह हेतु तथा <ul style="list-style-type: none"> बैंक के महत्वपूर्ण अनुबंधियों हेतु (एकल आधार पर या उप समेकित, इस पर निर्भर करते हुए कि कौन सा फेमवर्क लागू किया गया है) 	7.18% 7.47% 10.78% लागू नहीं लागू नहीं



standards, the RBI has issued guidelines on 27th April 2007 and subsequent amendments on implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework from time to time.

In line with the RBI guidelines, the Bank had migrated to the revised (Basel-II) framework from 31.3.2008 and continues to be compliant with the requirements of Basel-II framework. Basel III guidelines have been introduced from 01.04.2013, and bank is maintaining capital as per the guidelines

Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The Framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirements, the Bank has adopted Standardised Approach (SA) for credit risk, Standardised Measurement Method (SMM) for market risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital. The Bank is maintaining capital for Credit, Market and Operational Risk in line with the RBI guidelines

The Bank has computed capital for Capital Risk, Market Risk and Operational Risk as per the prescribed guidelines. Credit risk capital computation is done on borrower basis or facility type basis as per the segmentation advised in the RBI guidelines. For this purpose, the Bank has developed in-house software, which enables computation of capital for credit risk of the advances portfolio and generation of the requisite reports at the branches, Regional Offices and Central Office level. Borrower classification is based on the GL code, scheme code and BSR activity code. System picks the eligible security details from CBS advance master. System also identifies eligible guarantees based on GL code/activity codes. Undrawn amount of a Term Loan limit is computed based on the stage release details available in the CBS package. Other undrawn amount for FB and NFB limits are also computed by the system.

Necessary training has been imparted to the field staff periodically on various aspects of capital computation and

close interactions held with the coordinators at Regional Offices, to ensure accuracy and adequacy of data in capital computation. Risk Managers are placed at all Regional Offices for checking the data and ensuring accuracy and consistency of data.

Banks generally use a number of techniques to mitigate the credit risk to which they are exposed. The Bank has also used the Credit Risk Mitigation in computation of capital for credit risk in order to get capital relief. A well articulated policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation duly approved by the bank's Board is put in place. The Bank has followed the RBI guidelines in force to arrive at the credit risk mitigation, risk weighted assets, eligible capital and capital to risk weighted assets ratio (CRAR).

Reserve Bank of India has prescribed that Banks are required to maintain a minimum capital to risk weighted assets ratio (CRAR) of 9% on an ongoing basis, as against 8% prescribed in the Basel document.

The Bank has put in place a policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and the framework in consideration of the relevant risk factors of the bank as a measure towards Pillar 2 requirements of the revised framework commensurate with the bank's overall risk profile. In framing the policy the bank has taken into consideration the requirements prescribed by the RBI in their guidelines and bank's risk appetite including overseas operations where ever applicable / relevant.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank draws assessment of capital requirements periodically taking into account future growth of business. The surplus CRAR maintained by the bank acts as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available to the bank in the Tier-1 and Tier-2 capital components provides additional capital support to meet the future needs. Thereby, the capital risk of the bank is adequately addressed.

Quantitative disclosures	Amount in ₹. Crore
a) Capital requirements for credit risk <ul style="list-style-type: none"> • Portfolios subject to standardised approach • Securitisation exposures 	166095.40 Nil
b) Capital requirements for market risk: <ul style="list-style-type: none"> • Standardised duration approach - Interest rate risk - Foreign Exchange risk (including gold) - Equity risk 	574.49 9.15 202.38
c) Capital requirements for operational risk <ul style="list-style-type: none"> • Basic indicator approach • The Standardised Approach 	958.27 Not Applicable
d) Common Equity Tier 1 Capital Ratio <ul style="list-style-type: none"> Tier 1 Capital Total Capital Ratio For the top consolidated group; and • For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied) 	7.18% 7.47% 10.78% Not Applicable Not Applicable



तालिका डीएफ-3

उधार जोखिम : सभी बैंकों के लिये सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में हास सहित शामिल हानियों की संभावना उधार जोखिम है। बैंक के पोर्टफोलियो में उधार जोखिम अधिकांशतः बैंक के उधार क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की उधार गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। उधार जोखिम में काउंटर पार्टी जोखिम और देश जोखिम शामिल हैं।

उधार रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्रत्येक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर प्रबोधन और उसके मापन से अपने उधार जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक उधार रेटिंग फ्रेमवर्क और सुस्थापित मानकीकृत उधार मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। उधार रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव में निहित गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी उधार प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है।

रेटिंग मॉडल फैक्टर गुणात्मक और मात्रात्मक, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम, परियोजना जोखिम (जहाँ कहीं लागू हो) और सुविधा जोखिम से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। उद्योग जोखिम पर आँकड़े बाजार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं।

एक धारणा के रूप में उधार रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया। मजबूत उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की तीन टायर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें निर्धारित स्तरों पर उधार रेटिंग के वैधीकरण के लिए जो उच्चतर दृष्टिकोणों को अपनाने के लिए आवश्यक उधारकर्ताओं के लिए बिना किसी पक्षपात के रेटिंग करने की दृष्टि से उधार विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। उधार रेटिंग का लाभ यह है कि इससे जोखिम के आधार पर विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण किया जाता है और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों तथा अग्रिमों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट परिभाषित बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। उपयुक्त मंजूरीकर्ता प्राधिकर्ताओं को नए / संवर्धित प्रस्तावों पर विचार करने की सिफारिश के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / एनबीजीएम / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन गिड गठित किया गया है। शाखा प्रबंधकों को विशिष्ट मंजूरी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) के अतिरिक्त विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय कार्यालय की शक्तियों के अधीन / अंतर्गत ऋण प्रस्तावों की मंजूरी पर विचार करने के लिए प्रदत्त शक्तियों के साथ बैंक ने तीन समितियों यथा ए) अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली ऋण अनुमोदन समिति (सीएसी) बी) कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति (एचएलसीसी-ईडी) तथा सी) वरिष्ठतम महाप्रबंधकों की अध्यक्षता वाली प्रधान कार्यालय स्तरीय ऋण अनुमोदन समिति ((एचएलसीसी-जीएम) का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु प्रदत्त शक्तियों के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रमुखों की अध्यक्षता वाली क्षेत्र स्तरीय ऋण समितियों (आरएलसीसी) तथा एनबीजीएम कार्यालयों में राष्ट्रीय बैंक स्तरीय ऋण समितियों (एनबीसीसी) का गठन किया गया है। परिणामतः शाखा प्रमुखों से इतर कोई भी कार्यपालक वैयक्तिक स्तर पर ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। इन सभी ऋण अनुमोदन समितियों में जोखिम प्रबंधकों (क्षे.का./ एनबीजीएमओ से संबंधित) की उपस्थिति अनिवार्य है। केन्द्रीय कार्यालय

समितियों के लिए कोरम की पूर्णता हेतु जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक की उपस्थिति अनिवार्य है।

बैंक द्वारा आरंभ किए गए नए उत्पाद अनुमोदन के लिए बोर्ड/ आरएमसीबी के समक्ष रखने के पहले, उनमें निहित जोखिम प्रकार पर आधारित केन्द्रीय कार्यालय स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा जांचे जाते हैं।

उधार जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण नीति और उधार जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और फ्रेमवर्क के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है। उधार जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक व्यापक आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा जोखिम सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता, विवेकपूर्ण मानदण्डों, एक्सपोजर सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है।

बैंक में उत्कृष्ट उधार जोखिम प्रबंधन व्यवहार स्थापित करने के लिए उपाय किए हैं। उधार जोखिम प्रबंधन नीति ऋण के अतिरिक्त निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में उधार जोखिम के प्रबोधन का आंतरिक भाग है। इसके अतिरिक्त बैंक ने संपार्श्विक प्रबंधन और उधार जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यतः स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। वर्तमान में, कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उन उधार जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

उधार निगरानी / ऋण पुनरीक्षण / ऋण लेखा परीक्षा

उधार प्रबोधन विभाग ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता की निगरानी करता है, समस्याओं की पहचान करता है और कमियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाता है। विभाग का उद्देश्य है अर्जक खातों को एन पी ए में स्लिपेजों को कम करना और साथ ही उपलब्ध मानदण्डों व दिशानिर्देशों का अनुपालन करना। विभाग खातों का दैनिक आधार पर वर्गीकरण व अनुवर्तन करके फिसलन को न्यूनतम करने के लिए सूक्ष्म निगरानी भी करता है। इसके साथ ही खातों की निगरानी उनके ऋण के आकार के आधार पर विभिन्न स्तर के प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

रु. 1 करोड़ और ऊपर के ऋण वाले सभी मानक उधार खातों की निगरानी ऋण पुनरीक्षा प्रणाली के तहत की जाती है जो अनिवार्यतः एक ऑफ साइट ऑडिट प्रणाली है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ऋण जोखिम पर निर्देश नोट और बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार ऋण लेखा परीक्षा की जाती है।

ऋण ऑडिट के तहत किसी भी स्तर के प्राधिकृत द्वारा मंजूर रु. 5 करोड़ और ऊपर के उधार खाते आते हैं। यह लगातार चलने वाला कार्य है जिससे बैंक को कमियों की पहचान करने में मदद मिलती है साथ ही उधार खाते की रुग्णता / कमजोरी के प्रारंभिक संकेत भी प्राप्त होते हैं। यह अनिवार्यतः एक ऑन साइट लेखा परीक्षा प्रणाली है जिससे अग्रिमों की गुणवत्ता में क्षरण को रोका जा सकता है और इस प्रकार बैंक के हित की रक्षा हो सकती है। बैंक रु. 1.00 करोड़ तथा उससे अधिक के कार्यशील पूँजी ऋणवाले खातों के संबंध में सतत निगरानी विवरण आमंत्रित करके सतत निगरानी भी करता है।

पुनर्संरचित खाते का वर्गीकरण

बैंक निम्नानुसार पुनर्संरचित खाते के वर्गीकरण व प्रावधानीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करता है।



Table DF-3

CREDIT RISK: GENERAL DISCLOSURES FOR ALL BANKS

Qualitative disclosures:

Credit Risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counter parties. In a Bank's portfolio, Credit Risk arises mostly from lending and investment activities of the Bank if a borrower / counterparty is unable to meet its financial obligations to the lender/investor. It emanates from changes in the credit quality/worthiness of the borrowers or counter parties. Credit risk also includes counterparty risk and country risk.

Credit rating and Appraisal Process:

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has a robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval process. Credit rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal.

The rating models factor quantitative and qualitative attributes relating to Risk components such as Industry Risk, Business Risk, Management Risk, Financial Risk, Project risk (where applicable) and Facility Risk etc. The data on industry risk is regularly updated by CRISIL based on market conditions.

Credit rating as a concept has been well internalized within the bank. As a measure of robust credit risk management process, the bank has implemented a tiered system for validation of credit ratings at specified levels which is independent of credit departments, in order to draw unbiased rating for borrowers necessary for moving to advanced approaches. In respect of proposals falling under powers of Bank's Central Office, the validations of ratings are done at Risk Management Dept. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals based on risk and do meaningful comparison.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans and advances. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branch / RO / NBGM / CO for recommending fresh / enhancement proposal to appropriate sanctioning authorities. Specific Sanctioning Powers have been delegated to Branch Managers. In addition to the Management Committee of the Board (MCB), the bank has constituted three committees such as (a) Credit Approval Committee (CAC) headed by Chairman, (b) Head Office Level Credit Approval Committee headed by Executive Director (HLCC-ED) and (c) Head Office Level Credit Approval Committee headed by senior most General Manager (HLCC-GM) with delegated powers to consider sanction of credit proposals falling under Central Office powers at different levels. Further, Regional Level Credit Committees (RLCC) headed by the Regional Head at Regional Offices and National Bank Level Credit Committees (NBCC) at NBGM Offices have been formed with suitable delegated power for sanction of credit proposals. Consequently, no Executives beyond Branch Heads can exercise any discretionary powers for sanction of credit proposals at individual level. In all these credit approval committees, the presence of Risk Managers (attached to RO/NBGM) is compulsory. For Central Office committees, GM/DGM of Risk Management presence is compulsory to complete the quorum.

The new products introduced by bank are examined by the head office level Risk Management Committee depending upon the type of risks involved in the new product / process before being placed to RMCB / Board for approval.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured loan policy and credit risk management policy duly approved by Board. The policy document defines organizational structure, role and responsibilities and processes whereby the Credit Risk carried by the Bank can be identified, quantified and managed within the framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance. Credit risk is monitored by the bank on a bank-wide basis and compliance with the risk limits approved by Board / RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms and Exposure limits.

The bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Loan Policy and Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Funds and Investment Policy, Counter Party Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc., which forms integral part of monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on collateral management and credit risk mitigation which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the Bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. Presently, some select securities act as mitigation against credit risk (in capital computation), to which the bank is exposed.

Credit Monitoring/Loan Review/Credit Audit

The Credit Monitoring Department monitors the quality of Credit portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. The objective of the department is to minimize slippage of performing accounts to NPA category and also to comply with the laid down norms and guidelines. The department is also monitoring the accounts by segmentation and follow up the accounts on a daily basis to minimize slippages. Furthermore, the accounts are also monitored at different levels of authority depending upon the size of the exposure.

All standard borrowal accounts with credit exposure of ₹. 1 crore and above are reviewed under Loan Review Mechanism, which is essentially an off-site audit mechanism. The credit audit is carried out in terms of Guidance Note on Credit Risk issued by Reserve Bank of India and the Credit Risk Management Policy of the Bank.

The credit audit covers all borrowal accounts with total exposure of ₹. 5 crore and above sanctioned by any authority. This is an ongoing exercise which helps the bank to identify deficiencies and early warning signals of sickness/weakness in borrowal accounts. Essentially this is an onsite audit mechanism to prevent deterioration in the quality of advances thereby protecting the interest of the bank. The bank also maintains surveillance on the accounts with working capital exposure of ₹. 1.00 Cr and above by calling for Continuous Surveillance statements.

Classification of restructured accounts:

The bank has followed the prudential guidelines issued by the RBI in respect of classification and provisioning for restructured accounts from time to time.



अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण :

अनर्जक खातों के वर्गीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकसम्मत दिशानिर्देशों का बैंक पालन करता है।

रु करोड़ों में

मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर प्रयोज्यता
क. कुल सकल उधार जोखिम एक्सपोजर, निधि आधारित	142930.71
गैर निधि आधारित	23120.95
ख. प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण	
● देशीय निधि आधारित	161998
गैर निधि आधारित	35818
● विदेशी निधि आधारित	19083
गैर निधि आधारित	4150
ग. प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंधित
घ. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंधित
ड. एनपीए (सकल) की राशि	
● अवमानक	5169.53
● संदिग्ध (डी1, डी2, डी3)	3773.57
● हानि	77.38
च. निवल एनपीए	5658.12
छ. एनपीए अनुपात	
● सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	4.98%
● निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपी	3.20%
ज. एनपीए का प्रचलन (सकल)	
● प्रारंभिक शेष	6607.96
● जोड़	6902.40
● घटाव	4489.88
● अन्तिम शेष	9020.48
झ. एनपीए के लिए प्रावधानों का प्रचलन	
● प्रारंभिक शेष	2464.51
● अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	2210.80
● बट्टे खाते में डाला गया	1681.28
● अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	शून्य
● अन्तिम शेष	2994.03
ञ. अनर्जक निवेशों की राशि	143.69
ट. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	50.60
ठ. निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार-चढ़ाव	
● प्रारंभिक शेष	628.91
● अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	453.53
● बट्टे खाते में डाला गया /आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	86.95
● अन्तिम शेष	995.49

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(रु. करोड़ में)

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29दि - 3 म	3-6 म	6म - 1 वर्ष	>1 से 3 वर्षों	> 3 से 5 वर्षों	> 5 वर्षों
9138.48	13145.20	7341.69	8627.97	24898.38	19004.34	32409.49	70842.31	22407.52	48648.36

देशीय परिचालन के लिए सकल आस्तियों की कवरेज



Classification of Non Performing Accounts:

The bank follows the prudential guidelines of RBI for classification of NPA accounts.

(₹. In Crore)

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank
a) Total gross credit risk exposures:	
Fund based	142930.71
Non fund based	23120.95
b) Geographic distribution of exposures,	
• Domestic	
Fund based	161998
Non Fund based	35818
• Overseas	
Fund based	19083
Non Fund based	4150
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non-fund based separately.	Annexed
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed
e) Amount of NPAs (Gross)	
• Substandard	5169.53
• Doubtful (D1, D2, D3)	3773.57
• Loss	77.38
f) Net NPAs	5658.12
g) NPA Ratios	
• Gross NPAs to gross advances	4.98%
• Net NPAs to net advances	3.20%
h) Movement of NPAs (Gross)	
• Opening balance	6607.96
• Additions	6902.40
• Reductions	4489.88
• Closing balance	9020.48
i) Movement of provisions for NPAs	
• Opening balance	2464.51
• Provisions made during the period	2210.80
• Write off	1681.28
• Write back of excess provisions	Nil
• Closing balance	2994.03
j) Amount of Non-Performing Investments	143.69
k) Amount of provisions held for non-performing investments	50.60
l) Movement of provisions for depreciation on investments	
• Opening Balance	628.91
• Provisions made during the period	453.53
• Write-off / Write-back of excess provisions	86.95
• Closing Balance	995.49

Residual contractual Maturity break down of Assets

(₹. In Crore)

Day 1	2-7 D	8-14D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1Year	>1 to 3years	>3 to 5years	>5 years
9138.48	13145.20	7341.69	8627.97	24898.38	19004.34	32409.49	70842.31	22407.52	48648.36

Covers Gross Assets for domestic operations



उद्योगवार ऋण प्रकटीकरण

(रु.करोड़ों में)

उद्योग का नाम	बकाया
खान व क्वेरियिंग	2993.77
खाद्य प्रसंस्करण	1736.73
चीनी	971.49
खाद्य तेल और वनस्पति	661.34
चाय	39.41
पेय और तम्बाकू उत्पाद	595.54
सूती वस्त्र उद्योग	3904.20
जूट वस्त्र उद्योग	35.24
हस्तशिल्प / खादी (गैर प्राथमिक)	225.15
अन्य वस्त्र उद्योग	3054.69
चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	467.26
लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	669.19
कागज और कागज उत्पाद	1809.96
पेट्रोलियम (गैर -इन्फ्रा), कोयला उत्पाद (गैर -खनिज) एवं नाभिकीय ईंधन	1240.50
रसायन व रसायन उत्पाद (डाइ, पेन्ट्स आदि)	2201.56
उनमें से उर्वरक	105.35
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	751.82
उनमें से अन्य	1344.39
रबर प्लास्टिक और उनके उत्पाद	1099.40
ग्लास और ग्लासवेयर	136.04
सीमेंट और सीमेंट उत्पाद	1518.98
लौह एवं स्टील	10799.19
अन्य धातु व धातु उत्पाद	2207.33
सभी इन्जीनियरिंग	5244.29
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	442.94
वाहन ,वाहन के भाग, परिवहन साधन	3091.24
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	1029.95
निर्माण	2393.06
इन्फ्रास्ट्रक्चर	24764.45
उनमें से रोडवेज़	7369.56
उनमें से शक्ति	15931.91
उनमें से विद्युत (उत्पादन - परिवहन और वितरण)	14706.35
उनमें से तार संचार	1462.98
अन्य उद्योग	481.12
शेष सकल अग्रिमों के प्रति अवशिष्ट अग्रिम	107709.93
उनमें से उड्डयन क्षेत्र के लिए	1991.62
कुल ऋण और अग्रिम	181081.01

तालिका डी एफ-4

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन के लिए बैसल III पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूंजी के परिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बैसल III) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीएसई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को छः देशीय ईसीआरए जैसे उधार विश्लेषण और शोध लि.(सीएआरई), क्रिसिल लि, फिच इंडिया (इंडिया रेटिंग्स के रूप में पुनर्नामित) और इकरा लि., ब्रिकवर्क्स रेटिंग सर्विसेज़ लि. और छोटे एवं मध्यम उद्यम रेटिंग एजेंसी लि. (एसएमईआरए) की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है।


INDUSTRY WISE EXPOSURES

(₹. In Crore)

Industry Name	Outstanding
Mining and quarrying	2993.77
Food Processing	1736.73
Sugar	971.49
Edible Oils and Vanaspati	661.34
Tea	39.41
Beverages and Tobacco	595.54
Cotton Textiles	3904.20
Jute Textiles	35.24
Handicraft/ Khadi (Non Priority)	225.15
Other Textiles	3054.69
Leather and Leather Products	467.26
Wood and Wood Products	669.19
Paper and Paper Products	1809.96
Petroleum (non-infra), Coal Products (non-mining) and Nuclear Fuels	1240.50
Chemicals and Chemical Products (Dyes, Paints, etc.,)	2201.56
Of which Fertilisers	105.35
Of Which Drugs and Pharmaceuticals	751.82
Of which Others	1344.39
Rubber, Plastic and their products	1099.40
Glass & Glassware	136.04
Cement and Cement Products	1518.98
Iron and Steel	10799.19
Other Metal and Metal Products	2207.33
All Engineering	5244.29
Of which Electronics	442.94
Vehicles, Vehicle Parts and Transport Equipments	3091.24
Gems and Jewellery	1029.95
Construction	2393.06
Infrastructure	24764.45
Of which Roadways	7369.56
Of which Energy	15931.91
Of which Electricity (Generation-transportation and distribution)	14706.35
Of which Telecommunications	1462.98
Other Industries	481.12
Residuary Other Advances to balance Gross Advances	107709.93
Of which Aviation Sector	1991.62
Total Loans and Advances	181081.01

Table DF-4
CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH
Qualitative disclosures:
General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Basel III Capital Adequacy Framework for computation of capital for credit risk. In computation of capital, the bank has assigned risk weight to different asset classes as prescribed by the RBI from time to time.

External Credit Ratings:

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assume importance in the light of Guidelines for

implementation of the Basel III Capital Adequacy Framework. Exposures on Corporates / Public Sector Enterprises/ Primary Dealers are assigned with risk weights based on available external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of six domestic ECRA's viz. Credit Analysis and Research Ltd (CARE), CRISIL Ltd, FITCH India (renamed as India Ratings) and ICRA Ltd, Brickworks Rating Services India Ltd and Small and Medium Enterprises Rating Agency Ltd (SMERA)

In consideration of the above, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRA's for capital relief purpose. The RBI has provided for mapping public issue ratings on to comparable assets into banking book. However, this particular provision has not been taken into account in Credit Risk Capital Computation.



उपरोक्त के मद्देनजर बैंक ने पूंजी राहत के उद्देश्य से इन सभी ईसी आर ए द्वारा प्रदत्त रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में तुलनात्मक आस्ति पर पब्लिक ईश्यू की मैपिंग के लिए प्रावधान किया है। तथापि यह विशेष प्रावधान उधार जोखिम पूंजी की गणना में नहीं लिया जाता है।

बैंक पूंजी परिकलन उद्देश्यों के लिए केवल सालिसिटेड बाहरी रेटिंग्स का उपयोग करता है। उधारकर्ता अपनी रेटिंग के लिए स्वयं की इच्छा पर उक्त इसीआरए में से किसी एक या अधिक से संपर्क कर सकता है। 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाता है। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

आंतरिक क्रेडिट रेटिंग :

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता और एक्सपोजर का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली है। बैंक ने नए खाते के मामले में प्रवेश स्तर पर रेटिंग निर्धारित किया है। प्रवेश स्तर पर रेटिंग से कम रेटिंग वाले खातों पर निर्धारित प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार उच्च प्राधिकारी के द्वारा ही विचार किया जाएगा।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

रु. करोड़ों में

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात एक्सपोजर (इएएम)	बाहरी रेटिंग के अधीन आवरित इएएम	रेटिंग नहीं की गई
अग्रिम / निवेश			
100% जोखिम भार से कम	100317.77	11636.81	88680.96
100% जोखिम भार	107174.19	11087.56	96086.63
100% जोखिम भार से अधिक	20855.99	4002.21	16853.78
घटाएँ	0	0	0
कुल	228347.95	26726.58	201621.37
अन्य आस्तियाँ			
100% जोखिम भार से कम	24813.84	858.15	23955.70
100% जोखिम भार	6774.41	0	6774.41
100% जोखिम भार से अधिक	0	0	0
घटाएँ	0	0	0
कुल	31588.25	858.15	30730.11

तालिका डीएफ - 5

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए दृष्टिकोण

गुणात्मक प्रकटीकरण

उधार जोखिम को कम करने पर नीति

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यतः स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो।

वर्तमान में, पूंजी परिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए आंतरिक रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता। तदनुसार बैंक ने उधार जोखिम के लिए पूंजी का परिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोजर रेटिंग को कापोरिट और पीएसई के क्षेत्रों के लिए लिया है।

कापोरिट / पीएसई के विशेष निर्गमों में निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल की समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में दिए गए उधारों के पूंजी परिकलन के उद्देश्य से फिच, मूडीस और एस एण्ड पी अन्तरराष्ट्रीय रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित रेटिंग का प्रयोग किया गया है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के परिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा भारत में एक्सपोजर के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि बेहतर रेटिंग प्राप्त ग्राहकों के लिए उपलब्ध पूंजी राहत का लाभ उठाया जा सके। उधारकर्ताओं द्वारा अपने कारोबार विकास के लिए बाहरी रेटिंग को अवसर के रूप में विचार करना चाहिए।

बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में बैंक की अपनी जमाएँ स्वर्ण / आभूषण, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तुएँ, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं। बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना क) पात्र वित्तीय संपार्श्विक :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, जो उधार



The bank uses only solicited external ratings for capital computation purpose. Borrowers at their option can approach any one or more of the above ECRA's for their rating. External ratings assigned fresh or reviewed during the previous 15 months are reckoned for capital computation by the bank. Wherever a borrower possesses more than one rating from ECRA's the guidelines prescribed by the RBI are followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

Internal Credit Rating:

The bank has a well structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decision as regards the acceptability of proposals and level of exposures and pricing. The bank has prescribed entry level rating in case of new accounts. Accounts with ratings below the entry level can be considered only by higher authorities as per the delegated powers prescribed.

Presently, the internal ratings cannot be used for application of risk weight under Standardised Approach of capital

computation. The bank takes into consideration the borrower's loan exposure credit ratings assigned by the approved ECRA's while computing the capital for credit risk under corporate and PSE segments.

In case of investment in particular issues of Corporates / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRA's are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

For the purpose of capital computation of overseas exposures, ratings assigned by the international rating agencies namely Fitch, Moody's and Standard & Poor's are used as per RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures in India by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process needs to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better-rated customers. The borrowers need to consider the external rating as an opportunity for their business development

Quantitative Disclosures

(₹. In Crore)

Classification	Exposure After Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES / INVESTMENT			
Below 100% risk weight	100317.77	11636.81	88680.96
100% risk weight	107174.19	11087.56	96086.63
More than 100% risk weight	20855.99	4002.21	16853.78
Deducted	0	0	0
TOTAL	228347.95	26726.58	201621.37
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	24813.84	858.15	23955.70
100% risk weight	6774.41	0	6774.41
More than 100% risk weight	0	0	0
Deducted	0	0	0
TOTAL	31588.25	858.15	30730.11

Table DF – 5

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the bank has put in place a well-articulated policy on collateral management and credit risk mitigation techniques duly approved by the bank's Board. The Policy lays down the type of securities normally accepted by the bank for lending and administration/monitoring of such securities in order to safeguard /protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/Ornaments, Kisan Vikas Patras, 10 year Social Security Certificates, Shares and debentures, Central and State

Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets etc. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant and Machineries duly approved by Board.

Credit Risk Mitigation under Standardised Approach:

(a) Eligible Financial Collaterals:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, in line with RBI guidelines, the bank has recognized specific securities viz (a) cash/bank deposits (b)



जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अतः पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद), जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

ख) ऑन बैलेंस शीट नेटिंग :

उधार जोखिम कम करने की तकनीकों तथा संपार्श्विक प्रबंधन के उपयोग पर बैंक की नीति के अनुसार उधारकर्ता के ऋण/ अग्रिमों के प्रति उपलब्ध जमाओं की हद तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग की गणना की गई है (ऋण की अधिकतम हद तक), जहाँ बैंक ने भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित दस्तावेज के प्रमाण के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार शामिल करते हुए विधिक लागू नेटिंग व्यवस्थाएँ कीं। ऐसे मामलों में पूँजी गणना निवल उधार एक्सपोजर के आधार पर किया जाता है।

ग) पात्र गारंटियाँ

आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएमएसआइ (0%) घ) ईसीजीसी (20%) ङ) साख-पत्र के अधीन खरीदे / बटटे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (दिशानिर्देशों के अनुसार घरेलू और विदेशी दोनों)

बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेंद्रीकरण जोखिम

बैंक द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूँजी की गणना के लिए कई प्रकार के शामक उपाय वाली नीतियाँ व प्रक्रिया उपलब्ध हैं। उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ (वित्तीय संपार्श्विक) आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं। वर्तमान में बैंक प्रयुक्त क्रेडिट जोखिम शमन में कोई संकेन्द्रण जोखिम नहीं है और वर्तमान में उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में प्रत्येक प्रकार के संपार्श्विक की कोई सीमा / उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं किया गया है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु करोड़ों में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोजर (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है।	23508.53
देशी संप्रभुता	0.00
विदेशी संप्रभुता	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ	45.64
बैंकों की अनुसूची(आइ एन आर)	0.00
एफ सी वाइ में विदेशी बैंकों के दावे	0.00
प्राइमरी डीलर	0.00
कापेरिट	2701.39
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	14092.29
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	21.09
वाणिज्यिक भू संपदा द्वारा प्रतिभूत दावे	90.93
उपभोक्ता ऋण	6264.49
पूँजी बाजार एक्सपोजर	1.02
एन बी एफ सी	50.72
जोखिम पूँजी	0.00
अनर्जक आस्तियाँ - अ) आवास ऋण	0.19
अनर्जक आस्तियाँ - ब) अन्य	29.78
अन्य आस्तियाँ - स्टॉफ ऋण	53.04
अन्य आस्तियाँ	97.48
पुनर्संचित खाते	27.99
सी.आर.ई. आरएच द्वारा सुरक्षित दावे	32.48

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु करोड़ों में)

प्रत्येक अलग से प्रकटित उधार जोखिम पोर्टफोलियों के लिए , एक्सपोजर (जहाँ लागू ऑन या ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग के बाद) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा हेयर कट के पश्चात् कवर किया गया है।	13840.02
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ	8107.26
कापेरिट	3843.08
विनियामक रिटेल पोर्टफोलियो (आर आर पी)	1008.69
पुनर्संचित	785.22
पूँजी बाजार एक्सपोजर	0.00
सीआरई	73.52
सीआरई -आरएच	22.26



gold/ornaments (c) life insurance policies (d) kisan vikas patras (after a lock in period of 2 ½ years).

(b) On Balance Sheet Nettings:

As per Bank's policy on utilization of the credit risk mitigation techniques and collateral management, on-balance sheet netting has been reckoned to the extent of deposits available against loans/advances of the borrower (maximum to the extent of exposure), where bank has legally enforceable netting arrangements involving specific lien with proof of documentation as prescribed by RBI. In such cases, the capital computation is done on the basis of net credit exposure.

(c) Eligible Guarantees:

Other approved form of credit risk mitigation is availability of "Eligible Guarantees". In computation of credit risk capital, types of guarantees recognized as mitigation, in line with

RBI guidelines are (a) Central Government (0%) (b) State Government (20%), (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Banks in the form of Bills Purchased/discouted under Letters of Credit (both domestic and foreign banks as per guidelines).

The bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration risk in credit risk mitigation:

Policies and process are in place indicating the type of mitigants the bank use for capital computation under the Standardised approach. All types of securities (financial collaterals) eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, the bank doesn't envisage any concentration risk in credit risk mitigation used and presently no limit/ceiling has been prescribed for the quantum of each type of collateral under credit risk mitigation.

Quantitative Disclosures

(₹. in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by Eligible Financial Collateral after application of haircuts	23508.53
Domestic Sovereign	0.00
Foreign Sovereign	0.00
Public Sector Entities	45.64
Banks – Schedule (INR)	0.00
Foreign Bank claims in FCY	0.00
Primary Dealers	0.00
Corporates	2701.39
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	14092.29
Claims secured by Residential Property	21.09
Claims secured by Commercial Real Estate	90.93
Consumer Credit	6264.49
Capital Market Exposure	1.02
NBFC	50.72
Venture Capital	0.00
Non Performing Assets – a) Housing Loan	0.19
Non Performing Assets – b) Others	29.78
Other Assets – Staff Loans	53.04
Other Assets	97.48
Restructured Accounts	27.99
Claims secured by C.R.E-RH	32.48

Quantitative Disclosures

(₹. in Crore)

For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / Credit Derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	13840.02
Public Sector Entities	8107.26
Corporates	3843.08
Regulatory Retail Portfolio (RRP)	1008.69
Restructured	785.22
Capital Market Exposure	0.00
CRE	73.52
CRE-RH	22.26



तालिका डीएफ 6

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- क) निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा
- प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है।
 - प्रतिभूत आस्ति में निहित अन्य जोखिमों की प्रकृति (उदाहरणार्थ लिक्विडिटी जोखिम)
 - अपने प्रतिभूतिकरण के कार्य के लिए बैंक द्वारा निर्भाई गई विभिन्न भूमिका (उदाहरणार्थ ओरिजिनेटर , निवेशक , सेवा प्रदाता , ऋण बढ़ोत्तरी प्रदाता , लिक्विडिटी प्रदाता , स्वैप प्रदाता, प्रतिरक्षा प्रदाता) और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का सूचक
 - प्रतिभूतिकरण ऋण की ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन (उदाहरणार्थ किस प्रकार अन्डरलाइंग आस्ति प्रतिभूतिकरण ऋण को प्रभावित करता है जैसा कि एन सी ए एफ के मास्टर परिपत्र दिनांकित 1 जुलाई 2009 के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है ।)

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए कोई प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।

- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के माध्यम से बनाए रखे गए जोखिम के शमन करने के लिए ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का वर्णन
- ख) निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार
- क्या लेन देन को बिक्री या वित्तपोषण के तौर पर माना जाता है
 - प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाएं (इनपुट सहित) ; रखे गए या खरीदी गई स्थिति का मूल्यांकन
 - पिछली अवधि से प्रविधि और मुख्य परिकल्पनाओं में परिवर्तन और परिवर्तन का प्रभाव बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए अपेक्षित व्यवस्था के लिए तुलन पत्र पर देयताओं की पहचान करने के लिए नीतियां
- ग) प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त ई सी ए आइ के नाम, बैंकिंग बही में और प्रतिभूतिकरण ऋण के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी प्रयुक्त हुई हो।

बैंकिंग बुक में प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

- घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत जोखिम की कुल राशि
- ङ) चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा पहचानी गई हानि जिसे एक्सपोजर के प्रकार (अंडरलाइंग प्रतिभूति द्वारा वर्णित उदाहरणार्थ क्रेडिट कार्ड , हाउसिंग ऋण , ऑटो ऋण , आदि)द्वारा काट दिया गया हो
- च) एक वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकरण हेतु आस्ति की रकम
- छ) च) में से प्रतिभूतिकरण से पूर्व एक वर्ष के अंदर उत्पन्न आस्ति की रकम
- ज) एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटे गए ऑफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटे गए खरीद या रखे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल रकम
- झ) रखे गए खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की कुल मात्रा व संबंधित पूंजी प्रभार , एक्सपोजर के बीच काटे गए और आगे प्रत्येक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम वेट बैण्ड में काटे गए
- *टियर I से पूर्णतः काटे गए एक्सपोजर कुल पूंजी (एक्सपोजर प्रकार से) काटे गए उधार बढ़ोत्तरी आइ / ओ

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण : ट्रेडिंग बही

- ट) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र मात्रा जिसके लिए बैंक ने एक्सपोजर रखा था और जो एक्सपोजर प्रकार द्वारा मार्केट रिस्क एप्रोच के अधीन है।
- ठ) निम्नलिखित की समग्र मात्रा :
- रखा गया या खरीदा गया आन बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो
 - आफ बैलेंस शीट प्रतिभूतिकरण जिसे एक्सपोजर प्रकार द्वारा काटा गया हो
- ड) निम्नलिखित के लिए अलग से खरीदे गए या रखे गए प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की समग्र मात्रा
- रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम माप के अधीन हो और
 - प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो
- ढ) निम्नलिखित की समग्र मात्रा :
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए पूंजी अपेक्षा जो विभिन्न रिस्क वेट बैण्ड में काटे गए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन हो
 - टीयर I पूंजी से पूरी तरह से काटे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, कुल पूंजी से काटे गए आइ / ओ उधार बढ़ोत्तरी और अन्य कुल पूंजी (एक्सपोजर प्रकार द्वारा) से काटे गए अन्य एक्सपोजर

लागू नहीं



Table DF 6

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

<p>Qualitative Disclosures</p> <p>a) The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities. • The nature of other risks (e.g. liquidity risk) inherent in securitized assets • The various roles played by the bank in securitisation process (for example: originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider, swap provider, protection provider) and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them; • A description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (for example, how the behaviour of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular of NCAF dated July 1, 2009); • A description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposure; 	<p>No securitisation for the year ended 31.03.2014</p>
<p>b) Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Whether the transactions are treated as sales or financings; • Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased. • Change in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes; • Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets; 	
<p>c) In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.</p>	
<p>Quantitative Disclosures in Banking Book</p> <p>d) Total amount of exposures securitised by the bank.</p> <p>e) For exposures securitised losses recognized by the Bank during the current period broken by the exposure type (e.g. Credit cards, Housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security)</p> <p>f) Amount of assets intended to be securitized within a year.</p> <p>g) Of (f), amount of assets originated within a year before securitization.</p> <p>h) The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.</p> <p>i) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and off balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.</p> <p>j) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.</p> <p>* Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital (by exposure type).</p>	<p>Not applicable</p>
<p>Quantitative Disclosure: Trading Book</p> <p>k) Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank had retained sum exposures and which is subject to market risk approach, by exposure type.</p> <p>l) Aggregate amount of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and • Off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type. 	
<p>m) Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Securitisation exposures retained or purchased subject to comprehensive Risk Measure for specific risk; and • Securitisation exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands. 	
<p>n) Aggregate amount of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands. • Securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 	



तालिका डीएफ - 7

ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का एक्सपोजर ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में घरेलू निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेक्टिव्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूंजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है।

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डिरेक्टिव नीति हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विश्लेषण के जरिए किया जाता है। अभी तक संरचनागत तरलता विवरण के माध्यम से तरलता जोखिम की रिपोर्ट आरबीआइ को घरेलू परिचालन के लिए की जाती थी वहीं इसे प्रत्येक वरसीज केंद्रों पर अलग अलग प्रबंधित किया जाता था तथा अतीत में नियंत्रण के उद्देश्य से आलको(एएलसीओ) में रखा जाता था। हालाँकि आरबीआइ के हालिया परिपत्र के अनुसार, मार्च 2013 से प्रभावी तरलता जोखिम की संगणना की जानी है तथा आरबीआइ को रूपए तथा विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों व ओवरसीज केंद्रों के लिए प्रस्तुत किया जाना है और बैंक परिचालन हेतु विभिन्न अंतरालों पर इसका समेकन किया जाना है।

बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किए जाते हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक घरेलू ट्रेडरी द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल

टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम का संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विश्लेषण के प्रयोग से प्रबंधन किया जाता है और वैश्विक परिचालनो के लिए निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधन किया जाता है। शोयरधारक मूल्य को अधिकतम करने की दृष्टि से निवल ब्याज आय व ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए बैंक आवधिक रूप से वैश्विक परिचालनो हेतु आशोधित आवधिक अंतराल और देशी परिचालनों के लिए जोखिम पर आय का आकलन करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेजरी विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है। सप्ताह में दो बार मिलने वाली आलको(एएलसीओ) उपसमिति तरलता की स्थिति का विश्लेषण करती है, बड़े जमाओं के मूल्य निर्धारित करती है तथा आकस्मिक निधि आवश्यकताओं का मूल्यांकन करती है, जिसे अनुवर्ती बैठकों में आलको(एएलसीओ) को रिपोर्ट किया जाता है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूंजी के अनुरक्षण के लिए बेसल 1। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूंजी परिकल्पित की है। 31.03.14 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

(रु.करोड़ों में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	6383.22	574.49
ईक्विटी स्थिति जोखिम	2248.67	202.38
विदेशी विनिमय जोखिम	101.67	9.15
कुल	8733.56	786.02

तालिका डीएफ - 8

परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल हैं मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियों (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुनःप्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) (ड) अनुपालन नीति और (च) वित्तीय सेवाओं के बाह्य स्रोत पर नीति।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रक्रियाओं की



Table DF – 7

Market Risk in Trading Book:

Qualitative disclosure:

Market Risk:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on & off-balance sheet position caused by changes/movements in market variables such as interest rate, foreign currency exchange rate, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (Both AFS and HFT categories), the Foreign Exchange positions (including open position, if any, in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and erosion of equity capital arising from market risk.

Policies for management of market risk:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset Liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies which also deal with market risk management are Funds Management and Investment Policy, Derivative Policy, Risk Management Policy for forex operations and Stress testing policy. The market risk management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the bank are identified, measured, monitored and controlled within the ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policies set various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, liquidity risk is managed through GAP analysis based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities on daily basis based on best available information data coverage as prescribed by RBI. The liquidity risk through Structural Liquidity statement was hither too reported to RBI for domestic operation while the same was managed separately at each overseas center and placed to ALCO for control purpose in the past. However as per recent RBI circular, w.e.f March 2013 onwards the liquidity risk is to be computed and submitted to RBI in rupee and foreign currency for domestic operations, overseas centers and consolidated for Bank operations at various frequencies.

The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity management by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed for global operations. The bank estimates earnings at risk for domestic operations

and modified duration gap for global operations periodically for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence to prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in the light of the market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The mid-office monitors adherence to the prudential limits on a continuous basis. ALCO subcommittee which meets twice a week analyze the liquidity position, decide on price for bulk deposits and assess contingency funding requirement which is reported to ALCO in the subsequent meeting.

Quantitative Disclosures:

In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardised Duration Approach of Basel-II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.03.2014 in trading book of the bank is as under:

(₹. In Crore)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital Requirement
Interest rate risk	6383.22	574.49
Equity position risk	2248.67	202.38
Foreign exchange risk	101.67	9.15
TOTAL	8733.56	786.02

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative disclosures:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risk.

Policies on Management of Operational risk:

The bank has framed operational risk management policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems security policy (b) forex risk management policy (c) Policy document on know your customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) procedures (d) IT Business continuity and disaster recovery plan (IT-BC-DRP) (e) compliance policy and (f) policy on outsourcing of Financial Services.

The operational risk management policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling or mitigating operational risk and by timely reporting of operational risk exposures including material operational losses. Operational risks in the bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control framework.

The Bank has got embodied in its Book of Instructions well-defined systems and procedures for various operations.



रूपरेखा बताता है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ़ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

बैंक ने अपनी अनुदेश पुस्तक में विभिन्न परिचालनों के लिए सुस्पष्ट पद्धतियां व प्रक्रियाएं बना रखी हैं। बैंक ने कम्प्यूटरीकृत परिचालनों को संभालने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं और निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए ईडीपी लेखा परीक्षा स्थापित है। उचित दस्तावेजों के निष्पादन के लिए दस्तावेजीकरण मैनुयल हैं। कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश हैं। आवधिक कार्यवर्तन के लिए स्पष्ट प्रणाली है। उधार, फारेक्स और अन्य कार्यक्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण प्रणाली है। सभी कर्मचारियों के लिए आचार नियम व सेवा विनियम हैं।

निर्धारित पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आन्तरिक और बाह्य लेखा परीक्षा प्रणालियां हैं और कमियों को सुधारने के लिए समय पर कार्रवाई की जाती है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति रखी है। बैंकों में अनुपालन कार्यों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीय कार्यालय में कारोबार समूह से अलग “अनुपालन विभाग” स्थापित किया है। हर शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी पदनामित किए गए हैं। अनुपालन स्तर के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया व प्रणालियां तैयार की गई हैं। अनुपालन कार्यों के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली भी तैयार की गई है। बैंक में अनुपालन कार्य और अनुपालन संस्कृति मजबूत हुई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारा बैंक आधारभूत सूचक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसके अनुसार बैंक परिचालन जोखिम के लिए पूंजी धारित करता है। दिशानिर्देशों के अनुसार, परिचालन जोखिम के लिए पूंजी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के बराबर है।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

मानदण्ड	पूँजी रकम	आनुमानिक जोखिम वेटेड आस्ति
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार पिछले तीन वर्षों में सकारात्मक वार्षिक सकल आय का 15%	958.27	10647.44

तालिका डीएफ - 9 बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (परिप्रेक्ष्य अर्जन) तथा बैंक के नेटवर्थ (परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य) दोनों को प्रभावित करता है। परिप्रेक्ष्य अर्जन के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने

वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार, परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (आर्थिक परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। घरेलू परिचालनों हेतु आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात (शॉक) को लागू करके जीएपी विशलेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, घरेलू परिचालनों हेतु पारंपरिक जीएपी विशलेषण को दर संवेदनशील विवरण से लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 200 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत की जाती हैं।

बैंक ने वैश्विक परिचालनों पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की 1 वर्ष की अवधि के दौरान एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है।

बैंक मासिक आधार पर ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव और अवधि अन्तराल की गणना करता है। दर संवेदनशीलता विवरण और बकेटवार संशोधित अवधि के अनुसार आस्ति व देयता को समूहबद्ध किया जाता है और इन समूह आस्ति व देयता के लिए कॉमन मैच्यूरिटी, कूपन व यील्ड मानदण्ड का प्रयोग करके गणना की जाती है। जहाँ भी संभव होता है संशोधित अवधि की गणना एकल मदवार की जाती है। गैर परिपक्व जमाओं के मामले में, ब्याज दर संवेदनशीलता के वास्तविक मूल्यांकन को प्राप्त करने के लिए भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारितानुसार बैंक ने तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यावहारिक अध्ययन संचालित किया है।

बैंक प्रत्येक मुद्रा में ब्याज दर जोखिम स्थिति की गणना अवधि अन्तराल विशलेषण (डी जी ए) और पारंपरिक अंतराल विशलेषण (टी जी ए) उस मुद्रा में दर संवेदनशील आस्ति (आर एस ए)/ दर संवेदनशील देयता (आर एल ए)पर करता है जहाँ या तो आस्ति या देयता बैंक की कुल वैश्विक आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत आस्ति या वैश्विक देयता का 5 प्रतिशत या अधिक हो। सभी अन्य अवशेष मुद्रा में ब्याज जोखिम स्थिति की गणना अलग से समग्र आधार पर की गणना की जाती है।

भा.रि बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, तिमाही विवरणियां तिमाही की समाप्ति से 21 दिनों के अंदर और मासिक विवरणियां माह के अंत से 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जाती है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2014 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :



The bank has issued detailed guidelines for handling computerized operations and a system of EDP audit is in place to ensure adherence to the laid down systems and procedures. The Bank has clear guidelines as to the role functions of various levels of employees. A training system with provision for giving specialized training in credit /forex and other functional areas is in place. Conduct rules and service regulations for all the employees are also in place.

Various internal and external audit systems are in place to ensure that laid down systems and procedures are followed and timely actions are initiated for rectifying the deficiencies.

The Bank has put in place Compliance Policy duly approved by Board. In terms of the RBI guidelines on compliance functions in banks, the bank has established separate "Compliance Department" in C.O. independent of business group. Compliance officers are designated in each branch /department/office to monitor the level of compliance. The methodologies and system have been devised and put in place for assessment of level of compliance. Reporting systems on compliance function have been devised and put in place.

In line with the final guidelines issued by RBI, our bank is adopting the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines the banks must hold capital for operational risk equal to 15% of positive average annual gross income over the previous three years as defined by RBI.

Bank had made application to RBI for "Migration to The Standardized Approach" (TSA) for computation of capital charge for Operational Risk from "Basic Indicator Approach". Bank had also made a presentation to RBI on our preparedness and technological capability for migration to TSA. Bank is in the process of fine tuning the preparedness for migration as suggested by RBI.

Quantitative disclosures (₹. in crores)

Parameter	Capital amount	Notional Risk Weighted Assets
15% of positive average annual gross income over the previous 3 years as defined by RBI	958.27	10647.44

Table DF –9 Interest rate risk on the Banking Book:

Qualitative disclosures:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates may affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact on the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin. Similarly the risk from economic value perspective can be measured as drop in Economic Value of Equity.

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earnings perspective) and long term Economic Value Perspective. The impact on income (Earnings Perspective) for domestic operations is measured through use of GAP analysis by applying notional rate shock up to 200 bps as prescribed in the bank's ALM Policy over one year horizon. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage of Net Interest Income of the bank and the same is monitored periodically. For the calculation of impacts on earnings, the Traditional Gap Analysis for domestic operation is taken from the Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rate up to 200 bps is arrived at. The same is reported to Board and ALCO periodically along with the Rate Sensitivity Statement. The limits are fixed on the basis of previous year's Net Interest Income (NII).

The bank has adopted traditional gap analysis combined with duration gap analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value Perspective) on global operations by applying a notional interest rate shock of 200 bps over a time horizon of one year. For the purpose a limit of (+/-) 1.00% for modified duration gap is prescribed in the Bank's ALM policy and the position is monitored periodically.

The bank calculates Duration Gap and the impact on Economic Value of Equity on a monthly basis. Assets and liabilities are grouped as per rate sensitivity statement and bucket-wise modified duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. Wherever possible, the Modified Duration is calculated on individual item wise. In case of non maturity deposits, the bank has conducted behavioural studies for a period of three years as prescribed by RBI to have a realistic assessment of the interest rate sensitivity.

The bank is computing the interest rate risk position in each currency applying the Duration Gap Analysis (DGA) and Traditional Gap Analysis (TGA) to the Rate Sensitive Assets (RSA)/ Rate Sensitive Liabilities (RSL) items in that currency, where either the assets, or liabilities are 5 per cent or more of the total of either the bank's global assets or global liabilities. The interest rate risk positions in all other residual currencies are computed separately on an aggregate basis.

The quarterly returns are submitted within 21 days from the end of the quarter and monthly returns within 15 days from the end of the month to RBI as per guidelines.

Quantitative Disclosures

The impact of changes of Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2014 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under



(रु.करोड़ में)

ब्याज दर में परिवर्तन	एएलएम नीति इएआर के लिए सीमा	जोखिम पर अर्जन (इएआर) 31.03.2014	
		1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	166.65 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 3%)	149.57	115.73
0.50% परिवर्तन	333.29 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 6%)	299.14	231.46
0.75% परिवर्तन	499.94 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 9%)	448.71	347.19
1.00% परिवर्तन	666.59 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 12%)	598.28	462.92
2.00% परिवर्तन	1333.17 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 24%)	1196.56	925.84
इक्विटी का आर्थिक मूल्य			31.03.2014
आशोधित अवधि अंतराल (डीजीएपी)			-0.0100%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा			(+/-)1.00%
इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीइ)			
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए इक्विटी में घटाव			-0.5400%

सारणी डीएफ -10 : काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित जोखिमों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	काउंटरपार्टी सीमा को निर्धारित करते समय निम्नलिखित प्रमुख वित्तीय तथा गैर वित्तीय मानदंडों पर विचार किया जाना है।
वित्तीय/ गैर वित्तीय मानदंड	विवरण
वित्तीय	
ए. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)	10% तथा उससे अधिक सीएआर वाले बैंक को अधिकतम 25% भारांक दिया जाता है तथा 8% से कम वालों को 0% दिया जाता है। 6% से कम सीएआर वाले बैंकों को 25% के छूट घटक दिए जाते हैं जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिए जाते हैं।
बी. आस्तियों पर रिटर्न (आरओए)- लाभप्रदता	1.10 या उससे अधिक आरओए वाले बैंकों को अधिकतम 20% भारांक दिया जाता है तथा 0.15% से कम आरओए वालों को 0%।
सी. सकल एनपीए/ निवल एनपीए - आस्ति गुणवत्ता	3.00% से कम सकल एनपीए (विदेशी बैंकों के लिए)/ निवल एनपीए (भारतीय बैंकों के लिए) वाले बैंकों को अधिकतम 20% का भारांक दिया जाता है तथा 9.00% या उससे अधिक सकल एनपीए/ निवल एनपीए वालों को शून्य भारांक दिया जाता है। 15% से अधिक सकल एनपीए / निवल एनपीए वाले बैंकों को 20% का छूट घटक दिया जाता है जो कि काउंटरपार्टी सीमाओं की संगणना हेतु कुल भारांक से काट लिया जाता है। हालांकि यह सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों (जिनमें अधिकतर शेरधारिता सरकार की हो) पर लागू नहीं होगी।
डी. बाहरी एजेंसियों की रेटिंग (मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस अथवा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स)	स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज अथवा फिच तथा भारत में क्रिसिल, आइसीआरए, केयर या ब्रिकवर्क्स जैसी घरेलू रेटिंग एजेंसियों पर काउंटरपार्टी सीमा प्राप्त करने के लिए विचार किया जाता है। उच्चतम/ उच्च गुणवत्ता/ अपवादात्मक/ उत्कृष्ट ग्रेड की रेटिंग वाले बैंकों को 25% का अधिकतम भारांक दिया जाता है तथा बिना रेटिंग वाले बैंकों को शून्य भारांक दिया जाता है। भारत के अधिकांश बैंक अपने टियर II जारीकरण, विदेशों में उधारी के लिए भारत अथवा विदेशों में रेटिंग एजेंसियों से खुद ही अपनी रेटिंग करवाती हैं। हालांकि, हो सकता है कि कुछ बैंकों की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग नहीं हो। इस प्रकार के बैंकों को काउंटरपार्टी सीमाओं का मूल्यांकन करते समय केवल 5% का भारांक दिया जाता है। जहाँ भी दोनों रेटिंग उपलब्ध हैं, कम वाले को ही माना जाएगा और तदनुसार भारांक दिया जाता है।



(₹ in crore)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earnings at Risk (EaR) 31.03.2014	
		Up to 1 year	Up to 5 years
0.25% change	166.65 (3% of Nil of previous year)	149.57	115.73
0.50% change	333.29 (6% of Nil of previous year)	299.14	231.46
0.75% change	499.94 (9% of Nil of previous year)	448.71	347.19
1.00% change	666.59 (12% of Nil of previous year)	598.28	462.92
2.00% change	1333.17 (24% of Nil of previous year)	1196.56	925.84
ECONOMIC VALUE OF EQUITY			31.03.2014
Modified Duration Gap (DGAP)			-0.0100%
Limit as per ALM Policy			(+/-)1.00%
Market value of Equity (MVE)			
For a 200 BPS Rate Shock the Drop in Equity Value			-0.5400%

Table DF – 10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

Qualitative Disclosure	The following key financial and non-financial parameters are taken into consideration while fixing counter party limits
FINANCIAL/NON FINANCIAL PARAMETERS	DETAILS
FINANCIAL	
a. Capital Adequacy Ratio [CAR]	Banks with CAR of 10% and above are assigned maximum weightage of 25% and below 8% is assigned 0%. Banks with CAR of less than 6% are assigned with discount factors of 25% that will be deducted from the total weightage arrived at for computation of counter party limits.
b. Return On Assets [RoA] – Profitability	Banks with ROA of more than or equal to 1.10 are assigned maximum weightage of 20% and the ROA less than 0.15% are assigned as 0%.
c. Gross NPA / Net NPA – Asset Quality	Banks with Gross NPA (for Foreign Banks)/ Net NPA (for Indian Banks) of less than 3.00 % are assigned Maximum weightage of 20 % and the Gross NPA / Net NPA more than or equal to 9.00 % are assigned Zero Weightage. Banks with Gross NPA / Net NPA more than 15% are assigned with discount factors of 20% that is deducted from the total weightage arrived at for computation of counter party limits. However, this will not be applicable to Banks owned by Govt. (Government holding majority share)
d. External Agencies Ratings(Moody Investors Service or Standard & Poor's)	<p>Ratings of Standard & Poors, Moody's or Fitch and domestic rating agencies like CRISIL, ICRA, CARE or Brickworks in India are considered for arriving at the counter party limits. Banks rated with the highest / high quality / Exceptional / Excellent grade are assigned a maximum weightage of 25% and the unrated shall have a Zero weightage .</p> <p>Most of the Banks in India get themselves rated by rating agencies in India or abroad for their Tier II issuances, borrowing abroad. However, some banks may not have any rating at all by recognized rating agencies. Such banks will be assigned a weightage of only 5% while assessing counter party limits.</p> <p>Wherever both the ratings are available, lower one will be reckoned and the weightage is assigned accordingly.</p>



ई. पूर्ण रूप में टियर I पूँजी	काउंटर पार्टी बैंक के कुल मूल्य के संबंध में अनुमानित जोखिम की प्रमात्रा कुल मूल्य के 15% से 50% के बीच होगी।
गैर वित्तीय पारस्परिक कारोबार / संबंध सरकार समर्थित बैंक / भारतीय सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक समावेशन का देश	उक्त पाँच प्रमुख वित्तीय मानदंडों के साथ ही काउंटर पार्टी बैंक पर निर्णय देते समय कई अन्य प्रमुख मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है। उनमें से प्रमुख हैं ए) स्वामित्व संरचना का व्यापकता व स्वरूप बी) प्रबंधन क्षमता सी) आपसी तुलना डी) अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व तथा ई) समावेशन / विनियामक परिवेश का देश। कुछ बैंक ऐसे हैं जहाँ बैंक को वित्तीय मानदंडों के आधार की बजाए उनके संबंध, पारस्परिक व्यवस्था, कारोबार विचारों, भारतीय शाखाओं, ओवरसीज़ केंद्रों आदि से अनुबंधों के आधार पर सीमाओं पर विचार करना है। जहाँ भी आवश्यक लगे, सरकार समर्थित बैंकों/ भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों/ सक्रिय संवादी बैंकों के लिए 0% से 10% के बीच भारांक पर विचार किया जा सकता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

रु. करोड़ में

संख्या	ब्यौरे	अनुमानित राशि	एमटीएम	कुल वर्तमान ऋण जोखिम
1	व्युत्पन्न	1433.68	69.70	168.38
2	ब्याज दर संविदा/ स्वैप	7406.51	216.18	297.66
3	वायदा खरीद/ बिक्री संविदा	19432.91	शून्य	783.38
4	ऋण व्युत्पन्न	शून्य	शून्य	शून्य
5	ऋण चूक स्वैप	शून्य	शून्य	शून्य

सारणी डीएफ -11: पूँजी की संघटना

भाग I : केवल मार्च 31, 2017 से प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट: लागू नहीं

भाग II : केवल मार्च 31, 2017 से पहले प्रयुक्त किया जाने वाला टेम्पलेट (अर्थात् बासेल III विनियामक समायोजन की संक्राति अवधि के दौरान)

रु. करोड़ में

विनियामन समायोजन के संक्रमण के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटीकरण (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017)		बासेल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियाँ	
सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी: लिखत एवं आरक्षितियाँ			
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष(शेयर प्रीमियम)	6080.48	6080.48
2	प्रतिधारित आय	7490.30	7490.30
3	संचयित अन्य व्यापक आय (एवं अन्य आरक्षितियाँ)	0	0
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	0
1 जनवरी 2018 तक सार्वजनिक क्षेत्र पूँजी को पोषण		0	0
5	अनुबंधियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	0	0
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी	13570.78	13570.78
सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	-
8	साख (संबंधित कर देयता का निवल)	-	-
9	बंधक सेवा अधिकारों से इतर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	-	-
10	आस्थगित कर आस्तियाँ	-	-



e. Tier One Capital in Absolute Terms	Quantum of exposure assumable in relation to the networth of a counter party bank ranges from 15 % to 50 % of net worth
NON – FINANCIAL Reciprocal Business / Relationship Govt. Supported Banks/Indian Public/ Private Sector banks Country of Incorporation	In addition to the above five key financial parameters there are many other key parameters assessed while forming judgment on the counter party bank. The important among them are a) The spread and nature of the ownership structure b) Management Ability c) Peer comparison d) Importance of the Bank in the Economy and e) Country of Incorporation / Regulatory Environment. There are some banks where bank has to consider limits not based on the financial parameters but simply based on their relationship, reciprocal arrangements, business considerations, requests from Indian branches, overseas centres, etc. Wherever deemed necessary, the weightage ranging from 0% to 10% shall be considered for Govt. supported Banks / Indian Private Sector Banks/Active correspondent banks.

Quantitative Disclosure

(₹ in crore)

No	Particulars	Notional Amount	MTM	Total current credit exposure
1	Derivatives	1433.68	69.70	168.38
2	Interest Rates Contract/Swaps	7406.51	216.18	297.66
3	Forward Purchase / Sales Contract	19432.91	Nil	783.38
4	Credit Derivatives	Nil	Nil	Nil
5	Credit Default Swaps	Nil	Nil	Nil

Table DF – 11: Composition of Capital

Part I : Template to be used only from March 31,2017 : Not Applicable

Part II : Template to be used before March 31,2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustment)

(₹ in crore)

Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)			Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)		6080.48	6080.48
2	Retained earnings		7490.30	7490.30
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)		0	0
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)		0	0
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018		0	0
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)		0	0
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments		13570.78	13570.78
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments		-	-
8	Goodwill (net of related tax liability)		-	-
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)		-	-
10	Deferred tax assets		-	-



11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	-	-
12	अपेक्षित हानियों पर प्रावधानों की कमी	-	-
13	व्यय पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ	-	-
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ व हानि	-	-
15	परिभाषित- लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियाँ,	201.05	0.00
16	खुद के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर प्रदत्त पूँजी का पहले ही निवलीकरण नहीं किया गया है)	-	-
17	सामान्य ईक्विटी में पारस्परिक क्रॉस- धारण	55.48	0.00
18	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, जहाँ बैंक जारी शेयर पूँजी के 10 % से अधिक नहीं रखता है (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), की पूँजी में निवेश	-	-
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा इकाइयों, जो विनियामक समेकन, पात्र आंशिक स्थितियों के निवल के दायरे से बाहर हैं, (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	207.62
20	बंधक सेवा अधिकार (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0	0
21	अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ (10% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि), संबंधित कर देयता का निवल	0	0
22	15% प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	0	0
23	जिसमें से: वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0	0
24	जिसमें से: बंधक सेवा अधिकार	0	0
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरों से उभरती आस्थगित कर आस्तियाँ	0	0
26	राष्ट्रीय विशेषीकृत विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	0	0
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0	0
26बी	जिसमें से: समेकित गैर वित्तीय अनुषंगियों की ईक्विटी पूँजी में निवेश	0	0
26सी	जिसमें से: बहुमत प्राप्त वित्तीय इकाइयों, जिनका समेकन बैंक द्वारा नहीं हुआ है, की ईक्विटी पूँजी में कमी	0	0
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0	0
	बासेल III प्रतिपादन पूर्व के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	-	-
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें] उदाहरण के लिए : एफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अनुपलब्ध हानियों को बाहर करना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक)	-	-
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	-	-
	जिसमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	-	-
27	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर I तथा टियर II के कारण सामान्य ईक्विटी टियर I पर लागू विनियामक समायोजन।	0	0
28	सामान्य ईक्विटी टियर I पर कुल विनियामक समायोजन	256.53	207.62



11	Cash-flow hedge reserve	-	-
12	Shortfall of provisions to expected losses	-	-
13	Securitisation gain on sale	-	-
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	-
15	Defined-benefit pension fund net assets	201.05	0.00
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)	-	-
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	55.48	0.00
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-	-
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	207.62
20	Mortgage servicing rights(amount above 10% threshold)	0	0
21	Deferred tax assets arising from temporary differences(amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0	0
22	Amount exceeding the 15% threshold	0	0
23	of which: significant investments in the common stock of financial entities	0	0
24	of which: mortgage servicing rights	0	0
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0	0
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0	0
26a	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0	0
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	0
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures	0	0
	Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-	-
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	0	0
28	Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	256.53	207.62



29	सामान्य ईक्विटी टियर I पूँजी (सीईटी 1)	13314.25	13363.16
अतिरिक्त टियर I पूँजी लिखत			
30	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	624.00	780.00
31	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत ईक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	0	0
32	जिसमें से: प्रायोज्य लेखांकन मानकों के तहत देयता के रूप में वर्गीकृत (स्थायी ऋण लिखत)	624.00	780.00
33	अतिरिक्त टियर 1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी लिखत	0	0
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी1 लिखत जो क्रम 5 में शामिल नहीं हैं)	0	0
35	जिसमें से निकाले जाने के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	624.00	780.00
अतिरिक्त टियर 1 पूँजी: विनियामक समायोजन			
37	खुद के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	75.00	75.00
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक गैर-धारिता	10.00	0.00
39	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक की स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	0
40	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	0
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0	0
41ए	असमेकत बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में निवेश	0	0
41बी	बहुलांश स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की अतिरिक्त टियर I पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0	0
	बासेल III से पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में अतिरिक्त टियर I पर लागू विनियामक समायोजन	0	0
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार यानि डीटीए भरें]	-	-
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार डालें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर I से घटाया गया है]	-	-
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	-	-
42	अपर्याप्त टियर II की वजह से कटौतियों को कवर करने के लिए अतिरिक्त टियर I में लागू विनियामक समायोजन	-	-
43	अतिरिक्त टियर I पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	85.00	75.00
44	अतिरिक्त टियर I पूँजी (एटी1)	539.00	705.00
44ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचान की गई अतिरिक्त टियर I पूँजी	539.00	705.00
45	टियर I पूँजी (टी1 = सीईटी1 + स्वीकार्य एटी1) (29 + 44ए)	13853.25	14068.15



29	Common Equity Tier 1 capital (CET1)	13314.25	13363.16
Additional Tier 1 capital: instruments			
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	624.00	780.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0	0
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	624.00	780.00
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0	0
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	0	0
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
36	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	624.00	780.00
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments			
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	75.00	75.00
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	10.00	0.00
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0	0
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	0
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	0	0
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0	0
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	0
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	0
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	-	-
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-	-
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-	-
43	Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	85.00	75.00
44	Additional Tier 1 capital (AT1)	539.00	705.00
44a	Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy	539.00	705.00
45	Tier 1 capital (T1 = CET1 + Admissible AT1) (29 + 44a)	13853.25	14068.15



टियर 2 पूँजी: लिखत एवं प्रावधान

46	प्रत्यक्ष तौर पर जारी पात्र टियर 2 लिखत सहित संबंधित अधिशेष स्टॉक	1902.00	1902.00
47	टियर 2 से बाहर होने होने की शर्त पर प्रत्यक्ष तौर पर जारी पूँजी लिखत	2105.84	2632.30
48	अनुषंगी द्वारा जारी और अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टियर 2 में स्वीकृत राशि) टियर 2 लिखत (और 5 या 34 पंक्ति में नहीं शामिल सीईटी1 और एटी1 लिखत)	0	0
49	जिनमें से : बाहर होने की शर्त पर अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत	0	0
50	प्रावधान	2212.65	2212.65
51	विनियामक समायोजन से पहले टियर I पूँजी	6220.49	6746.95

टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन

52	निजी टियर 2 लिखतों में निवेश	55.00	55.00
53	टियर 2 लिखतों में परस्पर प्रति-धारिता	30.00	0.00
54	विनियामक समेकन के दायरे से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश, पात्र अल्प स्थितियों का निवल, जहाँ बैंक का स्वामित्व इकाई (10% की सीमा से ऊपर की राशि) की जारी साझा शेयर पूँजी के 10% से अधिक की राशि न हो	0	
55	विनियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा इकाइयों की पूँजी में निवेश (पात्र अल्प स्थितियों का निवल)	0	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)		
56ए	जिनमें से: असेमिकत बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 2 पूँजी में निवेश	0	
56बी	जिनमें से: बहुल स्वामित्व वाली वित्तीय इकाइयों की टियर 2 पूँजी में कमी जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0	
	बासेल III से पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर राशियों के संबंध में टियर 2 पर लागू विनियामक समायोजन	0	207.62
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें यानि वर्तमान समायोजन जिन्हें 50% की दर से टियर 2 से घटाया गया है]		207.62
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]	0	0
57	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	85.00	262.62
58	टियर 2 पूँजी (टी2)	6135.49	6484.33
58ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए पहचानी गई टियर 2 पूँजी	6135.49	6484.33
58बी	टियर 2 पूँजी के लिए पहचानी गई बहुतायत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	0	
58सी	पूँजी पर्याप्तता (58ए + 58बी)के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूँजी	6135.49	6484.33
59	कुल पूँजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)	19988.74	20552.49
	बासेल III पूर्व प्रतिपादन की शर्त पर जोखिम भारांक वाली आस्तियां के संबंध में राशि	0.00	
	जिनमें से: [समायोजन का प्रकार भरें]		
	जिनमें से:	0	
60	कुल जोखिम भारांक वाली आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	185476.44	
60ए	जिनमें से: कुल उधार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	166095.40	



Tier 2 capital: instruments and provisions			
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	1902.00	1902.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	2105.84	2632.30
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0	0
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0	0
50	Provisions	2212.65	2212.65
51	Tier 2 capital before regulatory adjustments	6220.49	6746.95
Tier 2 capital: regulatory adjustments			
52	Investments in own Tier 2 instruments	55.00	55.00
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	30.00	0.00
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0	207.62
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]		207.62
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	0	0
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	85.00	262.62
58	Tier 2 capital (T2)	6135.49	6484.33
58a	Tier 2 capital reckoned for capital adequacy	6135.49	6484.33
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0	
58c	Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)	6135.49	6484.33
59	Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)	19988.74	20552.49
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]		
	of which: ...	0	
60	Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	185476.44	
60a	of which: total credit risk weighted assets	166095.40	



60बी	जिनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारांक वाली आस्तियां	8733.60	
60सी	जिनमें से : कुल परिचालनात्मक जोखिम भारांक वाली आस्तियां	10647.44	
पूँजी अनुपात			
61	सामान्य ईक्विटी टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.18%	
62	टियर 1 (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	7.47%	
63	कुल पूँजी (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.78%	
64	संस्थान विशिष्ट बफर अपेक्षा (न्यूनतम सीईटी 1 अपेक्षा के साथ पूँजी संरक्षण और प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षाएं, जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)	5.00%	
65	जिनमें से: पूँजी संरक्षण बफर अपेक्षा	0	
66	जिनमें से: बैंक विशिष्ट प्रति-चक्रीय बफर अपेक्षा	0	
67	जिनमें से : जी-एसआईबी बफर अपेक्षा	0	
68	बफर की पूर्ति के लिए उपलब्ध सामान्य ईक्विटी टियर I (जोखिम भारांक वाली आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	2.18%	
राष्ट्रीय न्यूनता (बासेल III से भिन्न होने पर)			
69	राष्ट्रीय सामान्य ईक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बासेल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	5.00%	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (बासेल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	6.00%	
71	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (बासेल III न्यूनतम से भिन्न होने पर)	9.00%	
कटौती के लिए सीमा से कम राशि (जोखिम भार के पहले)			
72	अन्य वित्तीय इकाइयों की पूँजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश	-	
73	वित्तीय इकाइयों के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	-	
74	बन्धक सेवा अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
75	अस्थाई अंतर से उत्पन्न अस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता का निवल)	0	
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू सीमाएँ			
76	मानकीकृत अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	2212.65	
77	मानकीकृत अभिगम के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने के लिए सीमा	2318.46	
78	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के अधीन ऋणों के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू करने के पूर्व)	लागू नहीं	
79	मानकीकृत आंतरिक रेटिंग आधारित अभिगम के तहत टियर 2 में शामिल करने के लिए प्रावधान की सीमा	लागू नहीं	
फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन पूँजी लिखत(31 मार्च 2017 से 31 मार्च 2022 के बीच ही लागू)			
80	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 पर वर्तमान सीमा	0	
81	कैप के कारण देय सी ई टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	0	
82	फेज़ आउट व्यवस्था के अधीन ए टी 1 लिखत पर वर्तमान सीमा	624.00	
83	कैप के कारण ए टी 1 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	156.00	



60b	of which: total market risk weighted assets	8733.60	
60c	of which: total operational risk weighted assets	10647.44	
Capital ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.18%	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.47%	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.78%	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.00%	
65	of which: capital conservation buffer requirement	0	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0	
67	of which: G-SIB buffer requirement	0	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.18%	
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.00%	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	6.00%	
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	-	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	-	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2			
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	2212.65	
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	2318.46	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	NA	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	NA	
Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)			
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	0	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	624.00	
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	156.00	



84	फेज आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखत पर वर्तमान सीमा	2105.84	
85	कैप के कारण टी 2 में शामिल नहीं राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद सीमा से अधिक राशि)	526.46	

टेम्पलेट पर नोट

(रु. करोड़ में)

टेम्पलेट की रो संख्या	विवरण		
10	संचयी नुकसान के साथ संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ		0
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचयी नुकसान के साथ संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता का निवल		0
	क्रम संख्या 10 में दर्शित अनुसार योग		0
19	यदि बीमा अनुषंगी में निवेश की कटौती पूँजी में से पूर्णतः नहीं काटी गयी है और बल्कि कटौती के लिए 10% की सीमा पर विचार किया गया है , बैंक की पूँजी में परिणामी वृद्धि		0
	इसमें से : सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि		0
	इसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में बढ़ोतरी		0
	इसमें से : टियर 2 पूँजी में बढ़ोतरी		0
26बी	यदि गैर वित्तीय अनुषंगी की ईक्विटी पूँजी में निवेश की कटौती नहीं की गयी और उसके बाद जोखिम भार		0
	(i) सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि		0
	(ii) जोखिम भारांक आस्तियों में बढ़ोतरी		0
44ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 44 में रिपोर्ट किए गए अनुसार अतिरिक्त टियर 1 पूँजी तथा 44 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार अनुमत अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में अंतर)		0
	जिसमें से: क्रम 58 बी के तहत टियर 2 पूँजी के रूप में मानी गई अधिक अतिरिक्त टियर 1 पूँजी।		0
50	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र प्रावधान		1396.39
	टियर 2 पूँजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ		816.26
	क्रम 50 का कुल		2212.65
58ए	पूँजी पर्याप्तता के लिए अधिक टियर 2 पूँजी को नहीं माना गया है। (क्रम 58 में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 पूँजी तथा 58 ए में रिपोर्ट किए गए अनुसार टियर 2 में अंतर)		0

सारणी डीएफ - 12: पूँजी समाधान आवश्यकताओं का संघटन

(रु. करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग तारीख तक	रिपोर्टिंग तारीख तक
ए	पूँजी तथा देयता		
i	प्रदत्त पूँजी	1235.35	1235.35
	आरक्षित तथा अधिशेष	14934.82	14934.82
	अल्पमत ब्याज	0	0
	कुल पूँजी	16170.17	16170.17



84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	2105.84	
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	526.46	

Notes to the Template

(₹. in crore)

Row No. of the template	Particular		
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses		0
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability		0
	Total as indicated in row 10		0
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank		0
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital		0
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital		0
	of which: Increase in Tier 2 capital		0
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:		0
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital		0
	(ii) Increase in risk weighted assets		0
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)		0
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b		0
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital		1396.39
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital		816.26
	Total of row 50		2212.65
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)		0

Table DF – 12: Composition of Capital-Reconciliation Requirements

(₹. in.crore)

		Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on reporting date	As on reporting date
A	Capital & Liabilities		
i	Paid up Capital	1235.35	1235.35
	Reserves and Surplus	14934.82	14934.82
	Minority Interest	0	0
	Total Capital	16170.17	16170.17



ii	जमा	227976.09	227976.09
	जिसमें से: बैंकों से जमा	431.44	431.44
	जिसमें से: ग्राहक जमा	227544.65	227544.65
	जिसमें से: अन्य	0	0
iii	उधार	24456.04	24456.04
	जिसमें से: आरबीआइ से	4175.00	4175.00
	जिसमें से: बैंक से	11474.28	11474.28
	जिसमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	2204.45	2204.45
	जिसमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	0	0
	जिसमें से: पूंजी लिखत	6602.30	6602.30
iv	अन्य देयताएँ तथा प्रावधान	6302.54	6302.54
	कुल	274904.84	274904.84
		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के तहत तुलन पत्र
बी	आस्तियाँ	रिपोर्टिंग तारीख तक	रिपोर्टिंग तारीख तक
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद व शेष	11735.10	11735.10
	बैंक में शेष तथा अल्प मांग पर मांग मुद्रा	7273.68	7273.68
ii	निवेश	70236.80	70236.80
	जिसमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	61267.63	61267.63
	जिसमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	51.66	51.66
	जिसमें से: शेयर	1073.81	1073.81
	जिसमें से: डिबेंचर तथा बाण्ड	5569.91	5569.91
	जिसमें से: जिसमें से अनुषंगियों/ संयुक्त उपक्रम/ सहयोगी	193.20	193.20
	जिसमें से: अन्य (व्यावसायिक पत्र, म्यूच्युअल फंड आदि)	2080.59	2080.59
iii	ऋण तथा अग्रिम	175887.77	175887.77
	जिसमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	1183.35	1183.35
	जिसमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	174704.42	174704.42
iv	अचल आस्तियाँ	2604.38	2604.38
v	अन्य आस्तियाँ	7167.11	7167.11
	जिसमें से: साख तथा अमूर्त आस्तियाँ	0	0
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	0	0
vi	समेकन पर साख	0	0
vii	लाभ व हानि खाते में ऋण शेष	0	0
	कुल	274904.84	274904.84



ii	Deposits	227976.09	227976.09
	of which : Deposit from Banks	431.44	431.44
	of which : customer deposits	227544.65	227544.65
	of which : Others	0	0
iii	Borrowings	24456.04	24456.04
	of which : From RBI	4175.00	4175.00
	of which : From bank	11474.28	11474.28
	of which : from other institutional & agencies	2204.45	2204.45
	of which : Others(pl .Specify)	0	0
	of which : Capital instruments	6602.30	6602.30
iv	Other liabilities and provisions	6302.54	6302.54
	Total	274904.84	274904.84
		Balance Sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
B	Assets	As on reporting date	As on reporting date
i	Cash and Balances with Reserve Bank of India	11735.10	11735.10
	Balance with bank and money at call and short notice	7273.68	7273.68
ii	Investments:	70236.80	70236.80
	of which: Government Securities	61267.63	61267.63
	of which: Other approved securities	51.66	51.66
	of which : shares	1073.81	1073.81
	of which : Debentures & Bonds	5569.91	5569.91
	of which: Subsidiaries/joint Venture/Associates	193.20	193.20
	of which : other (commercial Paper, Mutual Funds etc)	2080.59	2080.59
iii	Loans and advances	175887.77	175887.77
	of which : Loans and advances to banks	1183.35	1183.35
	of which : Loans and advances to customers	174704.42	174704.42
iv	Fixed assets	2604.38	2604.38
v	Other assets	7167.11	7167.11
	of which : Goodwill and intangible assets	0	0
	of which : Deferred tax assets	0	0
vi	Goodwill on consolidation	0	0
vii	Debit balance in Profit & Loss account	0	0
	Total	274904.84	274904.84



(रु. करोड़ में)

	बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टेंपलेट का निष्कर्ष (अतिरिक्त कॉलम के साथ) - सारणी डीएफ 11 (भाग I/ भाग II, जो भी लागू हो)	
	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी : लिखत तथा आरक्षिति	
		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूँजी का घटक
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी उपयुक्त सामान्य शेयर (तथा गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूँजी सहित संबंधित स्टॉक अधिशेष।	6080.48
2	प्रतिधारित आय	7490.30
3	संचयित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	0
4	सीईटी1 से निकाले जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूँजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0
5	अनुबंधियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्ष द्वारा धारित (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) सामान्य शेयर पूँजी	0
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूँजी	13570.77
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0
8	साख(संबंधित कर देयता का निवल)	0

तालिका डीएफ 13: विनियामक पूँजी लिखतों के प्रमुख तत्व

निम्न टियर II बाँड

विनियामक पूँजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट

		निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला VI	शृंखला VII	शृंखला VIII	शृंखला IX
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09066	आइएनई565ए09074	आइएनई565ए09082	आइएनई 565ए09090
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
8	विनियामक पूँजी के रूप चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	0	30	80	100
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	26.07.2004	08.01.2005	16.09.2005	09.01.2006
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	26.07.2014	08.04.2015	16.12.2015	09.04.2016
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



₹. in.crore)

Extract of Basel III common disclosure template (with added column)-Table DF-11 (Part I / Part II whichever, applicable)		
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserve		
		Component of regulatory capital reported by bank.
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	6080.48
2	Retained Earnings	7490.30
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	13570.77
7	Prudential valuation adjustment	0
8	Goodwill(net of related tax liability)	0

Table DF – 13:Main Features of regulatory capital instruments

Lower Tier II Bonds

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES VI	SERIES VII	SERIES VIII	SERIES IX
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09066	INE565A09074	INE565A09082	INE565A09090
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	0	30	80	100
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	26.07.2004	08.01.2005	16.09.2005	09.01.2006
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	26.07.2014	08.04.2015	16.12.2015	09.04.2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable



15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 150	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 250
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है।



15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 200	nil, nil, 150	nil, nil, 200	nil, nil, 250
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI



विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेंपलेट (जारी...)

		निम्न टियर II शृंखला X	निम्न टियर II शृंखला XI	निम्न टियर II शृंखला XII
1	जारीकर्ता-	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सीयूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09108	आइएनई565ए09132	आइएनई565ए09165
3	लिखतों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान			
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	120	200	240
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	13.03.2006	26.07.2006	22.08.2008
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	13.03.2016	26.07.2016	22.08.2018
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य, शून्य, 300	शून्य , शून्य , 500	शून्य, शून्य, 300
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश			
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय	असंपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	लागू नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन



Disclosure template for main features of regulatory capital instruments (contd.,)

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES X	SERIES XI	SERIES XII
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09108	INE565A09132	INE565A09165
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment			
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	120	200	240
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	13.03.2006	26.07.2006	22.08.2008
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	13.03.2016	26.07.2016	22.08.2018
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 500	nil, nil, 300
16	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors



36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

विनियामक पूंजी लिखतों के प्रमुख तत्वों का प्रकटीकरण टेम्पलेट (जारी...)

		निम्न टियर II	निम्न टियर II
		शृंखला XIII	शृंखला XIV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सीयूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09181	आइएनई565ए09215
3	लिखतों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान		
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अपात्र	अपात्र
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	232	1000
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	24.08.2009	31.12.2010
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	24.08.2019	31.12.2020
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु.करोड़ में)	शून्य , शून्य , 290	शून्य , शून्य , 1000
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उपलब्ध नहीं लागू नहीं	उपलब्ध नहीं लागू नहीं
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं



36	Non-compliant transitioned features	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

Disclosure template for main features of regulatory capital instruments (contd.,)

		Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES XIII	SERIES XIV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09181	INE565A09215
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	ineligible	ineligible
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	232	1000
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability
11	Original date of issuance	24.08.2009	31.12.2010
12	Perpetual or dated	dated	dated
13	Original maturity date	24.08.2019	31.12.2020
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 290	nil, nil, 1000
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Not applicable	Not applicable
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Not available	Not available
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A



32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

उच्च टियर II बांड

		उच्च टियर II शृंखला I	उच्च टियर II शृंखला II	उच्च टियर II शृंखला III	उच्च टियर II शृंखला IV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सीयूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09140	आइएनई565ए09173	आइएनई565ए09199	आइएनई565ए09223
3	लिखतों की अभिशासी नियम (नियमों)	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
	विनियामक समाधान				
4	परिवर्ती बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	टियर II	टियर II	टियर II	टियर II
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि (रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	500	655.30	510	967
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	निरंतर या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016 शून्य 500	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर



32	If write-down, full or partial	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

Upper Tier II Bonds

		Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II
		SERIES I	SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09140	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
3	Governing law(s) of the instrument	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	500	655.30	510	967
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	05.09.2006	17.09.2008	01.09.2009	10.01.2011
12	Perpetual or dated	dated	dated	dated	dated
13	Original maturity date	05.09.2021	17.09.2023	01.09.2024	10.01.2026
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in ₹. crore)	05.09.2016 nil 500	17.09.2018 nil 655.30	01.09.2019 nil 510	10.01.2021 nil 967
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	No	No	No	No
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate



19	एक लाभांश रोधक का होना	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रणाली का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

सतत बांड

		सतत शृंखला I	सतत शृंखला II	सतत शृंखला III	सतत शृंखला IV
1	जारीकर्ता	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक	पीएसयू बैंक
2	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे कुसिप, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09116	आइएनई565ए09124	आइएनई565ए09157	आइएनई565ए09207
3	उपकरणों की अभिशासी नियम (नियमों) विनियामक समाधान	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै	चेन्नै
4	परिवर्ती बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
5	परिवर्ती पश्चात बेसल III नियम	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I	अतिरिक्त टियर I
6	एकल / समूह / समूह @ एकल में पात्र	एकल	एकल	एकल	एकल
7	लिखत प्रकार	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत



19	Existence of a dividend stopper	No	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
36	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
37	If yes, specify non-compliant features	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI

Perpetual Bonds

		Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
		SERIES I	SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Issuer	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank	PSU Bank
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09116	INE565A09124	INE565A09157	INE565A09207
3	Governing law(s) of the instrument Regulatory treatment	Chennai	Chennai	Chennai	Chennai
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I	Additional Tier I
6	Eligible at solo/group/group @ solo	Solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument



8	विनियामक पूंजी के रूप चिह्नित राशि(रु करोड़ में, हाल ही के रिपोर्टिंग तिथि पर)	200	200	80	300
9	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
10	खाता वर्गीकरण	देयता	देयता	देयता	देयता
11	निर्गमन की वास्तविक तिथि	31.03.2006	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009
12	निरंतर या दिनांकित	सतत	सतत	सतत	सतत
13	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत	सतत	सतत	सतत
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 80	शून्य , शून्य , 300
16	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों कूपन / लाभांश	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
17	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
18	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
19	एक लाभांश रोधक का होना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
20	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
22	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
23	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि संपरिवर्तनीय हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि संपरिवर्तनीय हो, रुपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि संपरिवर्तनीय हो, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि संपरिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार रुपांतरण को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत का प्रकार विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलेखन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन हो, अवलेखन ट्रिगर(रों)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलेखन हो, पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलेखन हो, स्थाई या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलेखन हो, आलेख प्रक्रिया का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक
36	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
37	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मांग विकल्प की अनुमति दी जानी है



8	Amount recognised in regulatory capital (₹. In crore, as of most recent reporting date)	200	200	80	300
9	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
10	Account classification	Liability	Liability	Liability	Liability
11	Original date of issuance	31.03.2006	18.05.2006	30.09.2006	29.09.2009
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 200	nil, nil, 200	nil, nil, 80	nil, nil, 300
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	No	No	No	No
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
22	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
25	If convertible, fully or partially	N/A	N/A	N/A	N/A
26	If convertible, conversion rate	N/A	N/A	N/A	N/A
27	If convertible, mandatory or optional conversion	N/A	N/A	N/A	N/A
28	If convertible, specify instrument type convertible into	N/A	N/A	N/A	N/A
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	N/A	N/A	N/A	N/A
32	If write-down, full or partial	N/A	N/A	N/A	N/A
33	If write-down, permanent or temporary	N/A	N/A	N/A	N/A
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI



टेबल डीएफ 14 : नियामक पूंजी लिखत की पूर्ण निबंधन एवं शर्तें
निम्न टियर II बांड

		निम्न टियर II शृंखला VI	निम्न टियर II शृंखला VII	निम्न टियर II शृंखला VIII	निम्न टियर II शृंखला IX
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए 09066	आइएनई565ए 09074	आइएनई565ए09082	आइएनई565ए09090
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	₹.10.00 लाख	₹.10.00 लाख	₹.10.00 लाख	₹.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (₹ करोड़ में)	शून्य, शून्य , 200	शून्य, शून्य , 150	शून्य, शून्य , 200	शून्य, शून्य , 250
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कूपन / लाभांश	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

		निम्न टियर II शृंखला X	निम्न टियर II शृंखला XI	निम्न टियर II शृंखला XII	निम्न टियर II शृंखला XIII
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09108	आइएनई 565ए09132	आइएनई 565ए09165	आइएनई565ए09181
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत	टियर II उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	₹.10.00 लाख	₹.10.00 लाख	₹.10.00 लाख	₹.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (₹ करोड़ में)	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 500	शून्य , शून्य , 300	शून्य , शून्य , 290
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कूपन / लाभांश	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ



Table DF – 14: Full Terms and conditions of Regulatory Capital Instruments

Lower Tier II Bonds

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES VI	SERIES VII	SERIES VIII	SERIES IX
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09066	INE565A09074	INE565A09082	INE565A09090
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 200	nil, nil, 150	nil, nil, 200	nil, nil, 250
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Nil	Nil	Nil	Nil
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

		Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II	Lower Tier II
		SERIES X	SERIES XI	SERIES XII	SERIES XIII
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09108	INE565A09132	INE565A09165	INE565A09181
2	Instrument type	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 300	nil, nil, 500	nil, nil, 300	nil, nil, 290
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes



10	पूर्ण विवेकाधिकार, आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

		निम्न टियर II शृंखला XIV	
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09215	
2	लिखत प्रकार	टियर II उधार लिखत	
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	लागू नहीं	
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 1000	
6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	लागू नहीं	
7	कूपन / लाभांश	निश्चित	
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	कूपन दर	
9	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	हाँ	
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	शून्य	
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	

उच्च टियर II बांड

		उच्च टियर II शृंखला I	उच्च टियर II शृंखला II	उच्च टियर II शृंखला III	उच्च टियर II शृंखला IV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09140	आइएनई565ए09173	आइएनई565ए09199	आइएनई565ए09223
2	लिखत प्रकार	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत	उच्च टियर II पूंजी लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	05.09.2016 शून्य 500	17.09.2018 शून्य 655.30	01.09.2019 शून्य 510	10.01.2021 शून्य 967



10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Nil	Nil	Nil	Nil
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI	Redemption to be permitted by RBI

		Lower Tier II
		SERIES XIV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09215
2	Instrument type	Tier II debt instruments
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not applicable
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 1000
6	Subsequent call dates, if applicable	Not applicable
7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	Yes
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Nil
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No
16	If yes, specify non-compliant features	Redemption to be permitted by RBI

Upper Tier II Bonds

		Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II	Upper Tier II
		SERIES I	SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09140	INE565A09173	INE565A09199	INE565A09223
2	Instrument type	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument	Upper Tier II capital instrument
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
4	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
5	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (in ₹. crore)	05.09.2016, nil, 500	17.09.2018, nil, 655.30	01.09.2019, nil, 510	10.01.2021, nil, 967
6	Subsequent call dates, if applicable	No	No	No	No



6	अनुवर्ती मांग तिथियाँ, यदि लागू हों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	कूपन / लाभांश	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर	कूपन दर
9	कूपन दर और कोई संबंधित तालिका	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन	सभी अन्य लेनदारों एवं जमाकर्ताओं के दावों के अधीन
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है	मांग विकल्प और भा. रि.बैंक द्वारा मोचन की अनुमति दी जानी है

सतत बॉन्ड

		सतत शृंखला I	सतत शृंखला II	सतत शृंखला III	सतत शृंखला IV
1	विशिष्ट परिज्ञापक (जैसे सियूएसआईपी, आइएसआइएन अथवा निजी नियोजन के लिए ब्लूमबर्ग परिज्ञापक)	आइएनई565ए09116	आइएनई565ए09124	आइएनई565ए09157	आइएनई565ए09207
2	लिखत प्रकार	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत	सतत उधार लिखत
3	लिखतों का समतुल्य मूल्य	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख	रु.10.00 लाख
4	निरंतर या दिनांकित	सतत	सतत	सतत	सतत
5	वास्तविक परिपक्वता तिथि	सतत	सतत	सतत	सतत
6	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन की शर्त पर जारीकर्ता मांग	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	वैकल्पिक मांग तिथि, संभाव्य मांग तिथियाँ एवं रियायत राशि (रु करोड़ में)	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 200	शून्य , शून्य , 80	शून्य , शून्य , 300
8	निश्चित या चल लाभांश /कूपन	निश्चित	निश्चित	निश्चित	निश्चित
9	एक लाभांश रोधक का होना	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	पूर्ण विवेकाधिकार , आंशिक विवेकाधिकार या अनिवार्य विवेकाधिकार	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
11	मोचन करने के लिए उन्नयन या अन्य प्रोत्साहन की मौजूदगी	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन	उन्नयन
12	गैर- संचयी या असंचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी	गैर-संचयी
13	संपरिवर्तनीय या गैर-संपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
14	परिसमापन में गौण पदानुक्रम की स्थिति (लिखित के तुरन्त वरिष्ठ का लिखत प्रकार विनिर्दिष्ट करें)	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक	अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीन और ईक्विटी शेयरधारकों से अधिक
15	अननुपालन संक्रमण विशेषताएँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
16	यदि हाँ तो अननुपालन विशेषताएँ विनिर्दिष्ट करें	भा.रि.बैंक द्वारा दी जाने वाली अनुमति का मांग विकल्प	भा.रि.बैंक द्वारा दी जाने वाली अनुमति का मांग विकल्प	भा.रि.बैंक द्वारा दी जाने वाली अनुमति का मांग विकल्प	भा.रि.बैंक द्वारा दी जाने वाली अनुमति का मांग विकल्प



7	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
8	Coupon rate and any related index	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate	Coupon rate
9	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors	Subordinate to claims of all other creditors and depositors
15	Non-compliant transitioned features	No	No	No	No
16	If yes, specify non-compliant features	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI	Call option & redemption to be permitted by RBI

Perpetual Bonds

		Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
		SERIES I	SERIES II	SERIES III	SERIES IV
1	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE565A09116	INE565A09124	INE565A09157	INE565A09207
2	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
3	Par value of instrument	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs	₹. 10.00 lakhs
4	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
5	Original maturity date	Perpetual	Perpetual	Perpetual	Perpetual
6	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
7	Optional call date, contingent call dates and redemption amount (₹. in crore)	nil, nil, 200	nil, nil, 200	nil, nil, 80	nil, nil, 300
8	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
9	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes
10	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
11	Existence of step up or other incentive to redeem	Step-up	Step-up	Step-up	Step-up
12	Non-cumulative or cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative	Non-cumulative
13	Convertible or non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible	Non-convertible
14	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors	Superior to equity shareholders and subordinate to claims of all other creditors
15	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes
16	If yes, specify non-compliant features	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI	Call option to be permitted by RBI